[Dr. B. Gopala Reddi.]
to the arrangements for evaluation of assets and liabilities and their allocation as settled at the time of partition. I am sure the House will not expect me to mention details of the various points on which the officials have been able to agree or disagree. The proper occasion for this will be when the discussions have been completed and a report made by them to the two Governments and the latter have had an opportunity of considering it. Meanwhile, I would suggest that no credence be given to the rather fanciful accounts of what is alleged to have been discussed at the meetings which have been appearing in the Press.

LEAVE OF ABSENCE TO DR. P. J. THOMAS

MR. CHAIRMAN: I have to inform Members that the following letter has been received from Dr. P. J. Thomas:

> "I regret that I am unable to be in Delhi to attend the current session of Rajya Sabha. I therefore place before you and the House my request for leave of absence."

Is it the pleasure of the House that permission be granted to Dr. P. J. Thomas for remaining absent from all meetings of the House during the current session?

(No hon. Member dissented.)

MR. CHAIRMAN: Permission to remain absent is granted.

MESSAGE FROM THE LOK SABHA

THE INDIAN TARIFF (AMENDMENT) BILL, 1959

SECRETARY: Sir, I have to report to the House the following message received from the Lok Sabha, signed by the Secretary of the Lok Sabha:—

> "In accordance with the provisions of rule 96 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I am directed to enclose herewith a copy of the Indian Tariff (Amendment) Bill, 1959, as passed by Lok Sabha at its sitting held on the 17th December, 1959.
>
> 2. The Speaker has certified that this Bill is a Money Bill within the meaning of article 110 of the Constitution of India."

Sir, I lay the Bill on the Table.

THE DOMESTIC WORKERS (CONDITIONS OF EMPLOYMENT(BILL, 1959—*continued*

श्री रतनलाल किशोरीलाल मालवीय (मध्य प्रदेश) : सभापति महोदय, पिछले वक्त मैं यह कह रहा था कि डोमेस्टिक सर्वेंट बिल जिस को श्री राजभोज जी ने प्रस्तुत किया है वह उस रूप में न ो डोमेस्टिक सर्वेंट्स की भलाई कर सकता है और न उससे कोई खास फायदा ही होता है । मगर जहां तक उसके सिद्धान्तों का ताल्लुक है और जो उनकी जिज्ञासा है कि डोमेस्टिक सर्वेंट्स को राहत दी जाय, एक मजदूर कार्यकर्त्ता की हैसियत से मैं उनसे पूर्णतया सहमत हूं । इस सम्बन्ध में मद्रास में लेबर कांफ्रेंस में पूर्ण रूप से विचार हुआ था । उस कांफ्रेंस में केवल लेबर मिनिस्ट्री ही नहीं थी बल्कि दूसरे मिनिस्ट्रों के आफिसर लोग और स्टेट्स गवर्नमेंट के प्रतिनिधि भी हाजिर थे । उन लोगों के अलावा उस मीटिंग में मजदूर कार्यकर्त्ता भी मौजूद थे । उस मीटिंग में इस बारे में पूर्णरूप से विचार हुआ और जब मैं इस कांफ्रेंस की रिपोर्ट देखता हूं तो मालूम होता है कि डोमेस्टिक सर्टेट्स ने मैं सन् १९५९ के अप्रैल महीने में प्राइम मिनिस्टर के सामने अपनी मांगे रखी ीं । उन में उन्होंने अपने लिए कोई अलग से बिल बनाने की मांग नही की थी । उन्होंने यह मांग की थी कि पेमेन्ट आफ वेजेज, मिनिमम वेजेज, शाप इस्टैब्लिशमेंट और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट उनके ि भी लागू किया जाय । दरअसल में यह

देखता हूं कि जब ऐक्ट में यह मांग मौजूद है मजदूरों के लिए, तो फिर डोमेस्टिक सर्वेंट्स के लिए अलग से बिल बनाने की जरूरत नहीं रह जाती है। गवर्नमेंट ने भी इस बारे में खूब विचार किया और प्रान्तीय सरकार से इस बारे में राय मांगी कि आया वे लोग घरेलू कर्मचारियों की मांग मानने के पक्ष में ह या नहीं। प्रायः सभी प्रान्तीय सरकारों ने उसके विपक्ष में राय दी कि इन लोगों के लिए कोई खास कानून बनाने की जरूरत नहीं है। जहां तक इन ऐक्ट्स का ताल्लुक है, जो अभी लागू है, जिनका मैं ने अभी थोड़ा सा जिक्र किया, इन ऐक्ट्स से देश में एक बड़ा भारी परिवर्तन हो गया है। जहां तक दुकानों में काम करने वाले नौकरों का ताल्लुक है, पहले वे लोग १४-१४, १६-१६ घंटे तक काम करते थे लेकिन जब से ये ऐक्ट्स लागू हो गये हैं तब से दुकानें अपने आप हर जगह रात के आठ बजे ही बंद होने लगी है। इसके अलावा दिन में भी खाने के लिए दुकानें बंद होती हैं जिससे नौकरों को काफी राहत मिल जाती है। यह बात जरूरी है कि अगर कोई कानून खास तौर से डोमेस्टिक सर्वेंटस के लिए ही बनाया जायेगा तो उसका असर कुछ खराब भी हो सकता है और यह भी हो सकता है कि बहुत से लोग जो अभी तक नौकरों को अपने यहां काम पर रखते थे वे भविष्य में रखना बन्द कर दें। अगर नौकरो को लोग नहीं रखेंगे तो इससे देश में एक नई तरह की बेकारी फैल जायेगी। इसलिए मैं इस पक्ष में नहीं हूं—जैसा श्री राजभोज जी चाहते हैं कि यह कानून सारे देश में लागू किया जाय। कोई भी कानून चाहे वह पेमेन्ट वेजेज ऐक्ट हो, मिनिमम वेजेज ऐक्ट हो, कोई भी इस तरह का कानून पूरे देश में डोमेस्टिक सर्वेंट्स के लिए लागू नही हो सकता है। मगर यह जरूरी है कि उन लोगों के लिए कुछ जरूर किया जाय जिससे उन्हें कुछ राहत मिल जाय। दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और बहुत बड़े शहर हैं जहां पर इन लोगों को राहत दी जानी चाहिये। अगर इन लोगों के ऊपर भी पेमेंट वेजेज ऐक्ट या मिनिमम वेजेज ऐक्ट लागू कर दिया जाय तो ससे इन लोगों को काफी राहत मिल सकती है। सभापति जी, मैं जानता हूं दिल्ली में नौकरों को १०, ११ और १२ बजे रात तक काम करना पड़ता है। मैं कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहता मगर मैं यह जानता हूं कि दिल्ली में जो इस तरह से काम होता है कि ज्यादा देर तक नौकरों को काम करना पड़ता है उसका सबब शायद क्लब लाइफ है और दूसरी तरह का संध्या का जीवन है। कुछ बड़े, कुछ छोटे, सभी अच्छे नही है, सभी बुरे नहीं हैं, मग ऐसा होता है कि लोग ज्यादा रात को घर पहुंचते है और नौकरों को उस वक्त तक काम करना पड़ता है। इसलिए इन तीन चार ऐक्ट्स में से, जिन का मैं जिक्र कर चुका हूं, यदि किसी ऐक्ट में उनको शामिल कर लिया जाय और उनका कोई वक्त मुकर्रर कर दिया जाय, तो मुझे आशा है कि उन्हें बहुत राहत मिलेगी और जिस तरह से दुकानदारों में परिवर्तन हुआ है उसी तरह से उन लोगों के जीवन में एक नया परिवर्तन हो जायगा जिन को क्लब लाइफ का बड़ा शौक है और जो ज्यादा रात तक बाहर रहते है।

सरकार ने जो फैसले मद्रास कांफ्रेंस में किये हैं उन्हें मैं स्वीकार करता हूं। इन घरेलू नौकरों को राहत दिलाने का एक अच्छा रास्ता सरकार ने निकाला है, मगर उनको सिर्फ एक ऐडवाइजरी कमेटी बनाने से राहत मिलने वाली नहीं है। साधारण तौर से एम्प्लायमेंट सर्विसेज जिस तरह से काम कर रही है और नौकरी दिलाने का काम करती है, उसी तरह का काम इस स्कीम में शामिल

[श्री रतनलाल किशोरी लाल मालवीय]

किया गया है, इस से डामेस्टिक सर्वेंट्स का काम नहीं बनेगा क्योंकि जहां तक नौकरियां पाने का सवाल है वहां तक तो उन्हें नौकरियां ढूंढ़नी पड़ती हैं और मिलती हैं मगर उनके काम में, उनके वेतन में और उनकी मजदूरी में कोई खास राहत नहीं मिलती है। इस कमेटी का जो फार्मेशन हुआ है वह बहुत अच्छा है, इसके जो पर्सोनल हैं उसमें सरकार ने एक मेम्बर पार्लियामेंट को, एक महिला को जो सोशल वर्कर हो, एक एम्प्लायर्स की तरफ से हाउस वाइफ को, और डाइरेक्टर आफ एम्प्लायमेंट ऐंड ट्रेनिंग को रखा है, मगर इस कमेटी को कोई हक इस स्कीम में नहीं दिया गया है। इसका नतीजा यह होगा कि यह कमेटी सिर्फ ज़रूरत बतायेगी कि इतने आदमी हैं, जिन को ज़रूरत हो के लें, मगर नौकरों को कोई राहत मिलने वाली नहीं है। न उनके समय का कोई ख्याल रहेगा और न उनके वेतन का कोई ठीक ठिकाना रहेगा। इसलिये मेरी अर्ज़ यह है कि इस कमेटी को सरकार कुछ हक दे और किसी कानून में डोमैस्टिक सर्वें स को शामिल कर लिया जाय और बड़े बड़े शहरों में उसका तजुर्बा किया जाय ताकि यह मालूम हो सके कि उसका असर क्या होता है। मिनिमम वेजेज एक्ट के अनुसार उनके टाइम के घंटे और वेजेज़ मुकर्रर कर दिये जायें और यह काम उस एडवाइजरी कमेटी के सुपुर्द कर दिया जाय। अगर गवर्नमेंट ऐसा करेगी तो मुझे उम्मीद है कि इन मजदूरों को राहत मिलनी शुरू हो जायेगी और इस बिल के लाने वाले हमारे भाई राजभोज जी की मंशा भी कुछ हद तक पूरी हो जायेगी। जिस रूप में राजभोज जी का यह बिल आया है उस रूप में मुझे दुःख है कि मैं स्वीकार नहीं कर सकता क्योंकि न यह मांग है मजदूरों की और न इस बिल को बनाने से उनको कोई राहत मिल सकती है। उनको राहत मिल सकती है उन तीन चार ऐक्स में, उनको लाने से और जो एडवाइज़री कमेटी गवर्नमेंट बनाने जा रही है उसको कुछ पावर देने से और मालिकों और मज़दूरों में समझौता कराने से।

इन शब्दों के साथ मैं फिर यह अर्ज़ करता हूं कि एक तो मैं इस बिल को सपोर्ट नहीं कर सकता, दूसरे मैं यह चाहता हूं कि गवर्नमेंट ने जो ऐडवाइज़री कमेटी बनाने की आयोजना रखी है उसको कुछ पावर्स दी जायं, तीसरे इन डोमेस्टिक सर्वेंट्स् के काम के घंटे और वेजेज़ फिक्स करने की ज़रूरत है ताकि इनको राहत मिल सके।

شری فرید الحق انصاری (اتر پردیش) : مسٹر چیر مین - ہمارے عزیز دوست راج بھوج جی نے جو بل پیش کیا ہے اس کے ایمس اینڈ آبجیکٹس سے مجھے بالکل اتفاق ہے - میرا خیال ہے کہ ہندوستان میں جب ہمارا مقصد سوشلسٹ سماج قائم کرنا ہے اس وقت کسی کو اس میں اعتراض نہیں ہو سکتا کہ وہ لوگ جو ہمارے گھروں میں کام کرتے ہیں ان کے آرام و آسائش کے لئے کوئی قانون بنایا جائے - کیونکہ آج جو حالت ان ڈومیسٹک سرویلٹس کی ہے وہ کچھ ایسی نہیں ہے کہ قابل تعریف ہو - مگر اس بل کو پڑھنے کے بعد میں اس نتیجہ پر پہونچتا ہوں کہ بل ٹھیک طریقہ پر ڈرافٹ نہیں کیا گیا ہے جیسے کہ سیکشنس ۴-۵ اور ۶ وغیرہ ہیں - دوسرے نوکروں کو نوکر رکھتے وقت یا اگر نوکر نوکری چھوڑنا چاہے یا خود مالک نوکر کو برطرف کرنا چاہے تو

اس کو کچھ نوٹس دیا جائے یا نہ دیا جائے اس کے بارے میں بھی اس میں کوئی ذکر نہیں ہے - تیسرے سیکشن ۱۱ میں جو ایک کنڈیشن تائم اف ورک کے سلسلہ میں دی ہوئی ہے اس سے بھی مجھے بالکل اختلاف ہے - یہاں سیکشن ۱۱ (۲) میں یہ دیا ہوا ہے :-

"No domestic worker shall be made to work for more than ten hours in a day."

آج کے ہندوستان میں جیسا کہ میں نے عرض کیا جب سوشلسٹک سماج کی طرف ہم جا رہے ہیں تو یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ کم سے کم محنت لوگوں کو پڑے اور زیادہ سے زیادہ آرام ان کو دیا جائے - آج آپ دیکھتے ہوں گے کہ انڈسٹریل کنسرنس میں ٹریڈ یونین کے جو لوگ ہیں وہ یہ مطال کر رہے ہیں کہ آٹھ گھنٹے سے زیادہ کام کسی کو کرنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہئیے - اس لئے میں یہ عرض کرونگا کہ اس بل میں کچھ تبدیلی ضرور ہونی چاہئیے - میرے عزیز دوست جو ابھی بول رہے تھے ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر ایسا بل پاس کیا جائے گا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ بیکاری بڑھے گی - جب تک غربت ہے - نوکر ملیں گے - میں ان سے عرض کروں گا کہ یہ صرف ہندوستان اور ہندوستان جیسے جو اور ملک ہیں ان میں ہی دیکھا جاتا ہے کہ گھروں میں لوگ نوکر رکھتے ہیں اور نوکر رکھ کر ان سے اپنا ذاتی کام کراتے ہیں - ہمارے خیالات کچھ ایسے ہو گئے ہیں کہ ہم اپنا کام خود کرنے کو بے عزتی سمجھتے ہیں - گاندھی جی نے واقعی جو ہم کو ایک چیز سکھائی اس کی ہمیں تائید کرنی چاہئیے، قدر کرنی چاہئیے کہ ہم کو اپنا کام کرنے سے دریغ نہیں کرنا چاہئیے، بھاگنا نہیں چاہئیے - ہر انسان کو اپنا کام کرنے میں بے عزتی نہیں سمجھنی چاہئیے - آج ہندوستان میں ہی یہ ہے کہ لوگ اپنے گھر کا کام کرنے کے لئے نوکر رکھتے ہیں - انگلستان سے جو ہمارے دوست واپس آئے ہیں انہوں نے یہ بتلایا ہے کہ وہاں کوئی نوکر کام کرنے کو ملتا ہی نہیں ہے - تمام لوگ وہاں اپنا کام خود اپنے ہاتھوں سے کرتے ہیں - کانٹینینٹ کے اوپر بھی کام کرنے کے لئے نوکر نہیں ملتے ہیں - اس لئے اگر ہندوستان میں ایسے طریقے استعمال کئے جائیں جن سے کہ جن لوگوں سے ہم اپنے ذاتی گھریلو کاموں کے لئے مدد لیتے ہیں تو ان کو آرام ملے، آسائش ملے، ان کو تنخواہ ٹھکانے کی ملے - ان سے کام ایسے طریقے پر لیا جائے کہ ہم ان کو نوکر نہ سمجھیں بلکہ اپنا ساتھی سمجھیں تو اس سے ہماری سوسائٹی کا اسٹیٹس بڑھ سکتا ہے اور بیکاری بھی نہیں بڑھ سکتی ہے اس لئے کہ جب ہم کام کی

[شری فرید الحق انصاری]
عزت کریں گے اور ان لوگوں کو اپنے برابر سمجھیں گے ، اور ایسی کنڈیشن اپنی سوسائیٹی میں پیدا کریں گے کہ ہر آدمی کو کام ملے تو پھر بیکاری نہیں ہو سکتی

میرے دوست نے یہ کہا کہ یہ کمیٹی جو کہ گورنمنٹ نے بلائی ہے اس کے سپرد ان کی دیکھ بھال کا کام کر دیا جائے - تو میں بدقسمتی سے ان لوگوں میں ہوں جو کہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کام گورنمنٹ نہیں کرنا چاہتی ہے اس کے سلسلہ میں کمیٹی مقرر کر دیتی ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے، پارلیمنٹ کے سامنے یہ ذکر برابر ہر سیشن میں ہوتا رہتا ہے کہ اس پر کمیٹی غور کر رہی ہے، کنسیڈر کر رہی ہے، ان کی رپورٹ آنے والی ہے یا رپورٹ اگر آگئی ہے تو گورنمنٹ اس رپورٹ کے اوپر کنسیڈر کر رہی ہے - تو کمیٹی کے ذریعہ سے کام کبھی نہیں ہوتا ہے -

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : पालियामेंट खुद एक खास कमेटी है ।

श्री प्रभुदयाल हिम्मतसिंहका (पश्चिमी बंगाल) : काम क्या हो रहा है ?

<u>شری فرید الحق انصاری</u> : کو اگر اس طریقے سے ٹھیک کام ہوتا ہے، ان کو آسانی پہونچتی ہے، اور کوئی ایسا ذریعہ نکلتا ہے، جس سے کہ وہ لوگ جو کہ نوکر کو اپنے سے نیچا سمجھتے ہیں ان کے ساتھ برا برتاؤ کرتے ہیں ان کو ہر طرح کی تکلیف دیتے ہیں ان کو روکا جا سکے اور ان سب معاملات سے بچا جا سکے تو میں اس کے حق میں ہوں - راج بھوج جی نے محض یہ تیمانڈ کیا ہے کہ یہ پبلک اوپنین ایلسٹ کرنے کے لئے سرکولیٹ کیا جائے اور میں اس کی تائید کرتا ہوں -

†[**श्री फरीदुल हक अन्सारी** (उत्तर प्रदेश) : मिस्टर चेयरमैन, हमारे अजीज दोस्त राजभोज जी ने जो बिल पेश किया है, उसके एम्ज़ एंड आबजेक्टस से मुझे बिलकुल इत्तिफाक़ है । मेरा ख्याल है कि हिन्दुस्तान में जब हमारा मकसद सोशलिस्ट समाज कायम करना है, इस वक्त किसी और को इसमें एतराज नहीं हो सकता कि वे लोग जो हमारे घरों में काम करते हैं उनके आराम व आसायश के लिये कोई कानून बनाया जाये, क्योंकि आज जो हालत इन डोमैस्टिक सर्वेंट्स की है, वह कुछ ऐसी नहीं है कि काबिले तारीफ हो । मगर इस बिल को पढ़ने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचता हूं कि बिल ठीक तरीके पर ड्राफ्ट नहीं किया गया है । जैसे कि सैक्शनस ४, ५ और ६ वगैरा हैं । दूसरे, नौकरों को नौकर रखते वक्त या अगर नौकर नौकरी छोड़ना चाहे या खुद मालिक नौकर को बरतरफ करना चाहे तो उसको कुछ नोटिस दिया जाये या न दिया जायें । उसके बारे में ी इसमें कोई जिक्र नहीं है । तीसरे, सैक्शन ११ में जो एक कंडीशन टाइम आफ वर्क के सिलसिला में दी हुई है उससे भी मुझे बिलकुल इख्तलाफ है । यहां सैक्शन ११ (२) में यह दिया हुआ है—

"No domestic worker shall be made to work for more than ten hours in a day."

आज के हिन्दुस्तान में जैसा कि मैंने अर्ज किया जब सोशलिस्टिक समाज की तरफ हम जा रहे हैं तो यह जरूरी हो जाता है कि कम

†[ ] Hindi transliteration.

से कम मेहनत लोगों को पड़े और ज्यादा से ज्यादा आराम उनको दिया जाये । आज आप देखते होंगे कि इंडस्ट्रियल कन्सर्न्स में ट्रेड यूनियन के जो लोग हैं वे यह मुतालबा कर रहे हैं कि ८ घंटे से ज्यादा काम किसी को करने की जरूरत नहीं होनी चाहिये । इसलिये मैं यह अर्ज करूंगा कि इस बिल में कुछ तबदीली जरूर होनी चाहिये । मेरे अज़ीज़ दोस्त जो अभी बोल रहे थे उनका कहना यह था कि अगर ऐसा बिल पास किया जायेगा तो उसका नतीजा यह होगा कि बेकारी बढेगी जब तक गुरबत है नौकर मिलेंगे । मैं उनसे अर्ज करूंगा कि यह सिर्फ हिन्दुस्तान और हिन्दुस्तान जैसे जो और मुल्क हैं उनमें ही देखा जाता है कि घरों में लोग नौकर रखते है और नौकर रख कर उनसे अपना जाती काम कराते है । हमारे खयालात कुछ ऐसे हो गये हैं कि हम अपना काम खुद करने को बेइज्जती समझते हैं । गांधी जी ने वाकई जो हमको एक चीज सिखाई उसकी हमें ताईद करनी चाहिये, कद्र करनी चाहिये कि हमको अपना काम करने से दरेग नहीं करना चाहिय, भागना नहीं चाहिये। हर इन्सान को अपना काम करने में बेइज्जती नहीं समझनी चाहिये । आज हिन्दुस्तान ें ही यह है कि लोग अपने घर का काम करने के लिये नौकर रखते हैं । इंगलिस्तान से जो हमारे ोस्त वापस आये हैं उन्होंने यह बतलाया है कि वहां कोई नौकर काम करने को मिलता ही नहीं है । तमाम लोग वहां अपना काम खुद अपने हाथों से करते हैं । कांटीनेंट के अरर भी काम करने के लिय नौकर नहीं मिलते है । इसलिये अगर हिन्दुस्तान में ऐसे तरीके इस्तेमाल किये जायें जिनसे कि जिन लोगों से हम अपने जाती घरेलू कामों के लिये मदद लेते हैं तो उनको आराम मिले, आसायश मिले, उन ो तनख्वाह ठिकाने की मिले । उनसे काम ऐसे तरीके पर लिया जाये कि हम उनको नौकर न समझें बल्कि अपना साथी समझें तो उससे हमारी सोसाइटी का स्टेटस बढ़ सकता है और बेकारी भी नहीं बढ़ सकती है इसलिये कि जब हम काम की इज्जत करेंगे और उन लोगों को अपने बराबर समझेंगे और ऐसी कन्डीशन अपनी सोसाइटी में पैदा करेंगे कि हर आदमी को काम मिले तो फिर बेकारी नहीं हो सकती है ।

मेरे दोस्त ने यह कहा कि यह कमेटी जो कि गवर्नमेंट ने बनाई है उसके सुपुर्द उनकी देखभाल का काम कर दिया जाये तो मैं बदकिस्मती से उन लोगों में हूं जो कि यह समझते हैं कि जो काम गवर्नमेंट नहीं करना चाहती है उसके सिलसिले में कमेटी मुकर्रर कर देती है ौर फिर हम देखते हैं कि हमारे सामने, पार्लियामेंट के सामने यह ज़िक्र बराबर हर सेशन में होता रहता है कि इस पर कमेटी ौर कर रही है, कन्सीडर कर रही है, उनकी रिपोर्ट आने वाली है या रिपो ं अगर आ गई है तो गवर्नमेंट उस रिपोर्ट के ऊपर कन्सीडर कर रही है । तो कमेटी के जरिये से काम कभी नहीं होता है ।

श्री आबिद अली : पार्लियामेंट खुद एक कमेटी है ।

श्री प्रभुदयाल हिम्मतसिंहका : काम क्या हो रहा है ।

श्री फरीदुल हक अंसारी : तो अगर इस तरीके से ठीक काम होता है, उनको आसायश पहुंचती ह और कोई ऐसा जरिया निकलता है जिससे कि वे लोग जो कि नौकर को अपने से नीचा समझते हैं उनके साथ बुरा बर्ताव करते हैं, उनको हर तरह की तकलीफ देते हैं उनको रोका जा सके और उन सब मामलात से बचा सके तो मैं इसके हक में हूं । राजभोज जी ने महज़ यह डिमांड किया है कि यह बिल पब्लिक ओपिनियन एलिसिट करने के लिये सरकुलेट किया जाये और मै इसकी ताईद करता हूं ।]

SHRI SONUSING DHANSING PATIL (Bombay): Mr. Chairman, while lending my support to the pioneering effort of Mr. Rajabhoj in piloting this Bill, I have to

[Shri Sonusing Dhansing Patil.]

make a few observations. In the first place, the Bill as it is drafted is not comprehensive enough so as to cater to the problems that have been raised by the Domestic Servants' Union. It has been pointed out by some of the labour leaders who take active interest in these problems that as far as this problem is concerned, a separate legislation is not advisable. Sir, I honestly differ from this point of view. As far as the city life is concerned, the question of giving living conditions or better conditions of service—at least a living wage to the domestic servants—is assuming greater and greater importance. The various bad conditions in which they have to work and the trouble which they have to undergo in getting payment of their wages regularly, and the conditions of service and leave etc. are something which we cannot consider as humane conditions of work.

Our Constitution guarantees certain rights to the worker, though unfortunately they are not Fundamental Rights. Article 39 of the Constitution says:

"The State shall, in particular, direct its policy towards securing—

(a) that the citizens, men and women equally, have the right to an adequate means of livelihood;"

Again, article 43 says:

"The State shall endeavour to secure, by suitable legislation or economic organisation or in any other way, to all workers, agricultural, industrial or otherwise, work, a living wage, conditions of work ensuring a decent standard of life and full enjoyment of leisure and social and cultural opportunities, etc. etc."

Taking into consideration the spirit of these two articles, I feel that the stage has arrived where we can now consider the question of the domestic servants and their conditions of service, etc.

Sir, there is no doubt that this problem is full of difficulties. One of the difficulties is that if such a legislation is undertaken, it may perhaps result in shrinkage of services. Even though a large number of people are employed as domestic servants, if their service conditions are regulated, and if a particular wage limit is insisted upon, it will have this natural effect. It is feared that there will be a lot of shrinkage in employment, and consequently it will result in unemployment. The second difficulty will come for the enforcement of the law.

Even though these difficulties may be genuine, still we have to find some device and a machinery by which we can regulate all the conditions.

Up to this time, the trend of the legislation in labour laws is particularly directed towards industrial labour which has got a very predominant voice, because they have the capacity to organise and make their voice felt in a limited sphere. The Western trend of labour legislation is reflected in India also, because of their power to organise and also because of their power to create nuisance in a particular limited sphere. The industrial labour makes itself effective. But as far as the problem of the domestic servants is concerned, they cannot work in the manner in which industrial labour does and they cannot organise and create nuisance value.

Sir, even though there are certain laws on the Statute Book, for example, the Minimum Wages Act, the Payment of Wages Act and other industrial relations Acts, still the problem of the domestic servants is outside the scope of these Acts, and howsoever we may try to accommodate the problem of the domestic servants within the fold of these laws, I think it will be completely a

misfit because the problem of domestic servants is entirely different. None of the employers of domestic servants in the country can afford to give the same wage as an employer in an industrial firm or industrial concern can do. So, even though there is a sort of recommendation of appointing an advisory body by the Indian Labour Conference, to which my friend made a reference, I feel the problem must be approached in a practical and realistic manner.

Agricultural labour is also sought to be covered by the Minimum Wages Act and it is to be implemented in all the States by the end of the year, but the problem of the domestic servants assumes a particular importance in the cities. This problem needs to be considered by a separate legislation because their service conditions, the capacity of the employer to pay and various other problems are entirely different from the general condition of labour, either industrial or agricultural. They have to do a peculiar type of work which is confined to cities, which is more or less an urban problem. Mr. Rajabhoj in his present Bill does not consider that aspect. That is why it has got certain shortcomings though the effort is very commendable, but I would request him to withdraw this in favour of a comprehensive Bill, if there is a sort of assurance on behalf of the Government to that effect.

Sir, while considering this problem, a reference was made to the Shop Establishment Act which has got a bearing on the city working conditions of various servants working in the shops. But that also is not an adequate provision to protect the interests of the domestic servants. The Shop Establishment Act is particularly confined to the various shop assistants. That Act, I am afraid, as far as I know it, is not applicable to the domestic servants residing in the areas where the Act is applicable. Even if that Act is made applicable to these domestic servants, the problem which I earlier pointed out is clearly different and we have to face the problem in a realistic manner so that within the existing conditions we could create an atmosphere within which we could accommodate this whole class of domestic workers in a manner which is just suitable to the economic conditions of the country and the employer.

It has been made clear in the summary of the main conclusions of the Indian Labour Conference that in a number of countries of the West, there are no legislations on this point. Granted, but the conditions of those Western countries are entirely different because there is no surplus manpower in those countries, and as such they do not feel the need of having a separate legislation, whereas in this country we have got a surplus population and a considerable number of people are engaged in domestic service. It is but natural that their conditions of service, their leave, etc., their hours of work, housing conditions, payment of wages and various other considerations assume greater and greater importance. I feel that the present Bill, which tries to meet some of the problems that arise in connection with domestic servants, is in many ways inadequate inasmuch as it does not take into consideration all those demands which are put forward by the Domestic Servants' Union. And, as far as possible, if at all there is going to be any legislation on this subject, it is but natural that we give full attention and examine the various demands made by the All-India Domestic Workers' Union. Sir, we had last year, or the year before, the spectacle of a fast-unto-death for about a month by one Shyam Singh Pawar, who represented the Domestic Workers Union as one of the Secretaries. He had undertaken that fast just in front of the Parliament House. At that time, I read in the papers that our Minister had given him some assurance that he would look into their demands. If the assurance is going to be in any way effective or substantial, then it is but natural that we examine this

[Shri Sonusing Dhansing Patil.]

question in all its aspects and see whether we can do something good to these domestic servants as far as big cities are concerned. Sir, according to me, if this problem is to be handled gradually and by stages, then cities which have got a population of one lakh or over may be considered first as far as the question of domestic servants is concerned because in smaller cities the question does not assume such great importance because that city population is a mixed population, both of peasants and workers, and there the question does not so much arise in all its aspects as it does in a city like Bombay or Delhi. If this suggestion is to be taken up, then a separate legislation covering all the problems will be essential and an advisory committee merely to tender advice to the Government is not going to be of any use even if it is vested with certain powers. A statutory wage commensurate with the conditions of work and the economic conditions of the employers will be a desirable thing and a separate Bill to my mind is a great necessity though we can attack the problem by stages and gradually. The demands of the workers put forward by the All-India Domestic Workers Union will have to be considered—there are as many as 12 demands which they have made and we have to see how far these demands can be met. Mr. Rajabhoj in one way suggested a practical proposition and to that extent I entirely agree that, in clause 11(1), the minimum wage of a domestic worker under eighteen years of age shall be rupees thirty per month and over eighteen years of age rupees forty per month. This suggestion appears to be quite realistic. The only thing I am not clear about is whether Mr. Rajabhoj wants this wage with or without meals—he has not mentioned that. If it is without meals, then it will not be taxing to an employer even in a city but if it is with meals and with quarters, then perhaps we will have to consider it. So, for all these separate problems of domestic servants, a separate legislation is essential and an advisory committee or applying the provisions of the various Acts like the Minimum Wages Act, the Payment of Wages Act, the Shops Establishment Act, etc., will not serve the purpose because these Acts are based on conditions which are obtaining in the industrial sector, and even though we try to expand the scope of these Acts and make them applicable to the domestic servants, I think the purposes which the Government aims at will not be served. The domestic servants' problems are peculiar to themselves, such as they are now insisting upon, *e.g.* the maximum working hours to be restricted to eight hours a day. Even here Mr. Rajabhoj had gone a step further and suggested a ten hour working day because he is having a realistic approach. He comes from that strata of society which knows the hardships to which these workers are put to. He also knows that if the domestic workers' demand of an eight hour working day is accepted, it will result in unemployment amongst them and many of them may not find employment. So, he takes a realistic view and does not insist so much on it even though the recommendation of the workers' union is for an eight hour working day. To that extent also, Mr. Rajabhoj had gone a step further and adopted a more realistic approach.

There should be weekly holidays. That is in his Bill. Provision for free medical treatment with pay does not appear to be there in the Bill. We will have to make some provision. Then, we will have to make provisions for servants' quarters as far as the big cities like Delhi are concerned. In Delhi, I think excepting the quarters meant for the Members of Parliament, there are hardly any quarters which have got servants' quarters. I have also seen the conditions in Calcutta. There the servants are not even allowed to sleep in garages. They only sleep in the verandah. I am not criticizing the host or anybody but I have seen

with my own eyes that servants or motor drivers are sleeping all along in the verandah when there is ample space in the building. That means that our treatment of a servant is not that of human being but something which we consider an inferior being not worth of our company. That should go. As far as the dream of Swaraj is going to be a reality, these workers and peasants must have their due share in recognition of their rights as far as human treatment is concerned and there cannot be any denying the fact that if there is no legislation or the Government does not come out with conditions which will be creating such an atmosphere, I think, the Government will not be worth the name. That is exactly the meaning which we have to take from the socialistic pattern of society when we are going a step forward in that direction, not by violent means but by gradual conversion and by legislation. A stage has now arrived when we must create conditions which are favourable to these workers.

Then, provisions for one month's notice prior to termination of service or one month's salary in lieu thereof, one month's annual leave with pay, holidays during festivals with pay, at the time of transfer, both ways' railway fares along with pay prior to termination of service in outstations etc. should be made. Payment of salary should be made on the first day of each month—here also Mr. Rajabhoj goes a step further. He has given seven days' time. That is also a realistic approach. Then, bonus according to service during the year should be given and aged and underaged servants should not be given hard work beyond their capacity and no deduction should be made from their pay. Sir, these are some of the demands to which, I confess, we cannot agree in their entirety but these are some things which we have to consider in a spirit of give and take and accommodate the domestic servants in a manner so that they will prove a sort of asset like any other family member. It is a fact that in the absence of a family member, a domestic servant plays a great role. of course, if there are certain offences committed by a domestic servant, then that dark picture also will be there. When we say that domestic servants are in many cases not honest, honesty has to be taken into consideration when we create conditions which promote their well-being, which promote human conditions of living and if we do not create those conditions and in spite of that if we want domestic servants to be honest, I think it is something which is beyond human nature. Of course, in that way I do not want to place a premium on dishonesty and it is for the Domestic Workers' Union to suggest the ways in which they should behave. At the same time it is also for us not to create conditions by which a domestic worker would be tempted to resort to dishonesty. Of course, it requires concerted efforts on the part of the various unions and those who take an interest in labour welfare to create an atmosphere among them or get them the education or social training by which they will not fall victims to this vice. These are some of the considerations for which, I think, a comprehensive Bill may be taken up by the Government for consideration, though the Government may not consider or the States may not consider that such a stage has arrived, because naturally the State Legislatures will always consider it from their standpoint because the States have a small number of cities, excepting the headquarters of the State. So it is better if the Central Government takes up the problem and tries to solve it by legislation, if possible, because I think that the existing provisions in the various Acts on the Statute Book will not have that salutary effect of creating some sort of condition which will amount to giving relief to the domestic workers. So a separate legislation must be thought out and it should be considered in all its aspects, taking into consideration the various demands of the domestic servants.

[Shri Sonusing Dhansing Patil.]

With all these, I really congratulate Mr. Rajabhoj for making this pioneer effort of bringing forward a Bill. Though the Bill, in many respects, may not meet the problems of the domestic servants, yet as far as the general problems are concerned, the Bill goes a long way to solve them. I may not agree with certain provisions such as making the offence cognisable. This is also a sort of social legislation where we must not treat the employees as criminals, and if we have a just approach to the problems and if we gradually try to solve the problems, it will be better. Let us not make the offence under this Bill cognisable so that the police may create a hubbub. Registration etc. of the domestic servants is the responsibility of the various big municipalities or Corporations under whose control they will come. I feel that the giving of the power to the police for maintenance of a register will not serve the purpose aimed at and I will request Mr. Rajabhoj, after having considered the opinion of the House, to withdraw his Bill and request the Government to bring forward a comprehensive Bill so that the aims which he has got at heart may be fulfilled adequately.

With these remarks, I congratulate Mr. Rajabhoj.

श्रीमती सावित्री निगम (उत्तर प्रदेश) : सभापति महोदय, डोमेस्टिक वर्कर्स कंडोशंस आफ इम्प्लायमेंट विधेयक आज जिस रूप में हमारे सामने है उससे पूरी तरह सहमत न होते हुये भी श्रीमन्, मैं इसके उद्देश्य से पूरी तरह से सहमत हूं । आज हमारे यहां घरेलू नौकरी की दशा बड़ी सोचनीय और दयनीय है । कहीं कहीं तो इन लोगों को बहुत ही थोड़ी तनख्वाह मिलती है और बहुत ही कठोर दुर्व्यवहार का शिकार होना पड़ता है । इन सब हालतों को देखते हुये यह स्वीकार करना पड़ेगा कि घरेलू नौकरों की स्थिति में शीघ्र ही सुधार होना चाहिये । श्रीमन्, इस मोजूदा विधेयक को पढ़ने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंची हूं कि न तो यह विधेयक और न इस प्रकार के अन्य विधेयक घरेलू कर्मचारियों की किसी प्रकार कोई मदद कर सकते हैं ।

श्रीमन्, इससे कहीं अच्छा हो कि नौकरों के लिये कोई दूसरा संगठन बनाया जाये । उनकी स्वयं की शिक्षा दीक्षा के लिये रात्रि पाठशाला खोले जायें ताकि वे स्वयं जागृत हों । जब तक नौकरों में स्वयं जागृति पैदा नहीं होगी और साथ ही साथ नौकरों के मालिकों में भी जागृति पैदा नहीं होगी तब तक इस प्रकार के विधेयकों से उनकी किसी समस्या का हल होना सम्भव नहीं है । श्रीमन्, मैंने इस दिशा में थोड़ा सा प्रयोग किया और नौकरों को पढ़ाने के लिये एक रात्रि पा शाला खोली । जब मैंने उस सभा में नौकरों की दयनीय हालत का विवरण देना प्रारम्भ किया और जिस समय मैं अपने विचार प्रकट कर रही थी तो उस सभा में एक सज्जन उठ खड़े हुये । वे कहने लगे कि नौकरों की दयनीय हालत के बारे में तो आप शिकायत कर रही हैं लेकिन उनके मालिकों की कैसी दयनीय दशा है, क्या आपने उसके बारे में कभी विचार किया ? उन्होंने यह भी कहा कि जितने भी सम्पन्न परिवार हैं उनके यहां एक एक नौकर है । उनके यहां नौकरों को अच्छी पगार मिलती है, क्वाटर भी अच्छा मिलता है, काम भी कम करना पड़ता है । और नौकर उनके यहां ज्यादातर सुखी रहते हैं, किसी तरह की शिकायत उन्हें नहीं रहती है । लेकिन जहां पर नौकरों को पगार भी कम मिलती है, काम भी ज्यादा करना पड़ता है और उनके साथ दुर्व्यवहार भी ज्यादा होता है वहां पर यह देखने में आता है कि उनके मालिकों की स्वयं की हालत भी बहुत दयनीय होती है । अक्सर यह देखने में आता है कि जहां कोई मिडिल क्लास का परिवार होता है वहां उस नौकर की हालत बहुत दयनीय हो जाती है जो उसके साथ काम करता है । इसका

कारण यह है कि परिवार बड़ा होता है और आय कम होने के साथ साथ माता पिता रोगी होते हैं और गृहिणी दुर्बल रहती है। तो भला बतलाइये ऐसे परिवार में जिस के मालिक की स्वयं की हालत दयनीय है, किस तरह से वह नौकर को सुख सुविधा या ज्यादा पगार तथा अलग से क्वार्टर दे सकता है जब कि उसके रहने के लिए ही खुद काफी जगह नहीं है। यह बात किस तरह सम्भव हो सकती है कि जब एक ही क्वार्टर में चालीस लोग रह रहे हैं वहां पर नौकर को अलग से कमरा दिया जाय।

श्रीमन, प्रश्न यह है कि पहले इन नौकरों की हालत सुधारी जाये और उसके बाद जो मालिक हैं उनकी हालत सुधारी जानी चाहियें। अगर हमने मालिकों की हालत में सुधार किया तो नौकरों की हालत भी स्वयं सुधर जायगी।

श्रीमन, अभी एक वक्ता ने कहा कि नौकरों से दस घंटे के बजाय आ घंटे काम लेना चाहिये क्योंकि हमने देश में सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी बनाने की बात मान ली है। श्रीमन, जैसी हमारी भोजन सम्बन्धी आदतें है, आज बेचारी गृहिणी को दिन भर भोजन बनाने में ही लगा रहना पड़ता है। अगर हम उसके जीवन पर दृष्टिपात करें तो हम यह देखते है कि उसका सार जीवन का आधा समय रसोई बनाने में ही चला जाता है। अगर नौकरों की दशा सुधर गई, यह बिल पास हो गया और आठ घंटे की शर्त लागू कर दी गई तो गृहिणियों को बारह और चौदह घटे काम करना पड़ेगा और उनका जीवन और भी दयनीय हो जायगा। अगर हमने भोजन सबधी अपनी आदतें ठीक नही की, किसी राष्ट्रीय प्रचार द्वारा अपनी आदतों को ठीक नही किया तो वह समय दूर नही जब कि घर-गृहिणियां थोड़े ही दिन में इस सदन के सामने "वाइव्ज़ प्रोटेक्शन बिल" लाने के लिये मजबूर होंगी।

डा० श्रीमती सीता परमानन्द (मध्य-प्रदेश) : कांस्क्रिप्शन फार सर्विस करना पड़ेगा।

श्रीमती सावित्री निगम : श्रीमन, जब मैं इस विधेयक के बारे में सोचती हूं तो मैं ख्याल करती हूं कि इस से बेचारे नौकरों को कोई विशेष फायदा नहीं पहुंच सकता है। अभी बहस के दौरान एक भाई ने कहा कि नौकरों को वेरांडे में सोने के लिए जगह दी जाती है। मैं भी सोचती हूं कि जब इस तरह की सर्दी में उन्हें वेरांडे में सोने के लिए जगह दी जाती है तो उनकी दयनीय हालत का पता चल जाता है। किन्तु मैं अपने भाई से निवेदन करूंगी कि अगर वे दिल्ली के २०० मकानों का सर्वेक्षण करें और देखे तो उन्हें पता चल जायेगा कि दिल्ली में मकानों में रहने वालों की कितनी दयनीय हालत है। यह देखने में आया है कि एक मकान में तीस तीस और चालीस चालीस आदमी रहते हैं और अक्सर भाई और बेटे वेरांडे में सोते हैं। आप पार्लियामेंट के मेम्बरों के क्वार्टरों को ही देख लीजिये, जिस में काफी परिवार के लोग रहते हैं उस में लड़के, भाई या दूसरे लोगों को वेरांडे में सोना पड़ता है। अगर आप उनके सर्वेन्टस क्वार्टरों का सर्वेक्षण करेंगे तो आप यह पायेंगे कि उन कमरों में ये बड़े बड़े व्यवसायी लोग रह रहे है। जब मकानों की इस तरह की हालत है तो नौकरों को किस तरह से अलग कमरा दिया जा सकता है। इस तरह से यह विधेयक लाकर यह कहना कि हम नौकरों को अलग से कमरा दिलाना चाहते हैं, इसका यह नतीजा होगा कि जैसे ही यह बिल पास हो जायेगा वैसे ही लोग अपने यहा से नौकरों को नौकरी से हटा देंगे। जहां नौकरों को भले ही एक जून खाना मिल रहा था, इम्प्लायमेंट मिल रहा था, और थोड़ी बहुत दूसरी सहूलियत मिल रही थी, इस बिल द्वारा हम वह भी छीन लेंगे। तो हमें इस बात को अच्छी तरह से सोचना चाहिये कि जहा लोगों

[श्रीमती सावित्री निगम]

को रहने के लिये जगह नहीं है, जहा पर रोगी और परिवार के दूसरे स्वस्थ सदस्य साथ रहते हैं, वहां किस तरह से नौकर को एक अलग कमरा दिया जा सकता है ।

श्रीमन, इस विधेयक में पुलिस को भी आगे लाने की कोशिश की गई है । इस तरह के केसेज इसपेक्टर रैंक से कम का कोई आफिसर फैसला नहीं करेगा । अगर हम इस तरह से पुलिस को बीच में ले आयेंगे तो घरेलू कर्मचारियों का और ज्यादा शोषण होने लगेगा । हाल ही में एक बड़े नेता को नेतागिरी का शौक चढ़ आया था, उसने नौकरों का एक सगठन बना डाला जो एक हंगामा मच गया । हर नौकर को मार मार कर उससे १५, २० रु० लिये गये । उसके बाद यह एक तूफान रचा गया कि सत्याग्रह होगा, आमरण अनशन किया जायेगा । जब जुलूस निकाला जाता था तब डंडे लेकर बहुत से लोग पहुंचते थे और घरों से ज़बर्दस्ती नौकरों को निकाल लाते थे । जो नौकर छिपते थे उनके ऊपर मार पड़ती थी । चाहे किसी के घर में कोई महमान आया हुआ हो, चाहे कोई बीमार हो, अगर वह नौकर को नही भेजता था तो लोग उसकी खिड़की और दरावाजा तोड़ना शुरू कर देते थे । ऐसे हंगामे में बहुत से लोगों ने अपने नौकरों को निकाल दिया । उन्होंने कहा कि जब यह लोग रोज जुलूस निकालने के लिये जाते हैं और हमारा काम नहीं होता है तो क्यों न हम सब परिवार के लोग अपना काम करना शुरू कर दें । इस सम्बन्ध में मैं आपको एक घटना बताऊं । जब इन नौकरों ने यह शोरशराबा शुरू किया कि हमें इतनी तनख्वाह दी जाय, हमें इतनी छुट्टी दी जाय, यह हमारे नेता की, हमारे सेक्रेटरी की मांग है, तो एक पार्लियामेंट के सदस्य ने पुलिस में इत्तिला दे दी । उसका नतीजा यह हुआ कि १०, १२ नौकर गिरफ्तार हो गये और फिर यूनियन वाले कभी उनको छुड़ाने नहीं गये । हम लोग जो उनकी हरकतों के कारण बहुत सख्त खिलाफ थे आखिर में तरस खाकर गये और उनकी ज़मानत कराई । जिन्होंने १५, २० रु० उन गरीबों से वसूल किये थे, वे फिर दिखाई नहीं पड़े । जो आमरण अनशन किया गया था उसके पीछे भी उन बेचारे नौकरों को ठगने की एक चाल थी और जब वह खत्म हो गया तो न उस यूनियन के प्रेसीडेंट दिखाई दिये और न सेक्रेटरी दिखाई दिये । वह छोटे छोटे बच्चे जिनके मां बाप पहाड़ों में रहते हैं उनकी किसी ने मदद नहीं की । आखिर में हुआ यह कि हम लोग, जो उनके शोरशराबा की वजह से उनके संगठन के खिलाफ थे, दो चार आदमी गये और उन पर तरस खा कर उनकी ज़मानत करवाई । उसके बाद भी उन बेचारों को तीन महीने तक कचहरी दौड़ना पड़ा ।

जहां तक पुलिस का इस बिल से सम्बन्ध है, यह ठीक है कि पुलिस में बहुत से ऐसे लोग हैं जो ईमानदार हैं, लेकिन बहुत से ऐसे भी हैं जो गलत काम कर सकते है । इसलिये अगर हमने पुलिस को बीच में रखा तो इन बेचारे घरेलू नौकरों का शोषण होना शुरू हो जायेगा । घरेलू नौकरों की समस्या बड़ी उलझी हुई है । हम लोगों ने चार पांच वर्ष पहले एक वीमेन्स मास कांटेक्ट कमेटी बनाई थी और उसके तत्वावधान में हम लोगों ने जो प्रयोग किये उनके कारण लगभग दो हजार महिलाओं को ३०, ३५ रु० से लेकर ७५ रु० तक घरों में नौकरियां मिल गईं । उस सम्बन्ध में हमने यह भी देखा कि मालिकों और नौकरों के बीच में जो समस्यायें होती हैं उनको समझा बुझा कर बहुत कुछ हल किया जा सकता है । इस प्रकार डेढ़ वर्ष के बीच में हम लोगों ने जो दो हज़ार बहनों को नौकरियां दिलाई, उनमें केवल दो मामलों में ऐसा हुआ कि हम लोगों को थोड़ी सी परेशानी हुई । मालिकान समझौते के लिये तैयार नही हुये और बाद में हम लोगों को

मामला कोर्ट में भेजना पड़ा। दो हज़ार में केवल दो मामले ऐसे हुये और बाकी सब नौकरियां अच्छी तरह तब तक चलती रहीं जब तक हमारा संगठन रहा।

श्री पां० ना० राजभोज (मुम्बई) : वे सब मैरिड थीं . . .

MR. CHAIRMAN: Mr. Rajabhoj, you will have your chance.

श्रीमती सावित्री निगम : इस तरह से अगर आज भी श्री राजभोज जी और अन्य भाई इन घरेलू नौकरों की स्थिति में कोई सुधार लाना चाहते हैं तो सब से अच्छी और उत्तम बात यह होगी कि घरेलू नौकरों का एक ऐसा संगठन बनाया जाय जिसमें तमाम घरेलू नौकर पदाधिकारी बनें और उसमें कोई ऐसा बाहर का व्यक्ति न आये जो नेतागिरी के चक्कर में उनका शोषण कर सके। यदि ऐसा किया जाये तो मेरा यह मानना है कि इस समस्या का बहुत सुधार हो सकता है और नौकरों की मदद हो सकती है। वह जो मद्रास में कांफ्रेंस हुई थी और उसमें जो निर्णय हुये थे, इसमें सन्देह नहीं है कि वे निर्णय बहुत ही उत्तम हैं और उपयोगी हैं। उन निर्णयों के अनुसार जो एडवाइज़री कमेटी बनी है उसको यदि कुछ अधिकार दे दिये जायें तो और भी इस समस्या को हल करने में सहायता मिलेगी। वास्तव में यह एक अर्बन प्राब्लम है और जहां जहां एम्प्लायमेंट एक्सचेंज हैं वहां वहां इस प्रकार की एडवाइज़री कमेटियां बनाई जायें। यदि सम्बन्धित नगरों की नगरपालिका और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड आदि से एक एक नुमाइन्दा लेकर ऐसी कमेटियां बनाई जायें और इनके लिये कुछ नियम बनाये जायें तो इन नौकरों को अवश्य कुछ राहत मिल सकती है। इतनी बात ज़रूर है कि ऐसे नियम नहीं बनाये जाने चाहियें कि उनको क्वार्टर दिये जायें या ४० रु० तनख्वाह दी जाय। हमारे देश की दशा और हमारा रहन-सहन आदि देख कर यदि नियम बनाये जायेंगे तो बहुत मुनासिब होगा। इस प्रकार धीरे धीरे, एक एक कदम उठा कर, थोड़ी थोड़ी राहत दिलाने वाले कदम उठा कर, यदि इस तरह की कमेटियां बना दी जायें और वही रूल्स बनायें तो भी नौकरों को बहुत फायदा हो सकता है।

इसके अतिरिक्त मुझे यह भी कहना है कि इस विधेयक को अलग से चाहे न भी पास किया जाये, लेकिन जो फैक्ट्री के मालिक और मज़दूरों के ऊपर कानून लागू होते हैं उन्हीं में यदि इस बिल की कुछ धारायें जोड़ दी जायें, जैसे यह कर दिया जाय कि जिन की पांच सौ या एक हज़ार से अधिक आमदनी है उनके नौकरों की तनख्वाह ४० या ५० रु० से कम नहीं होगी और इतनी कैजुअल लीव होगी, इतनी बीमारी की छुट्टी मेडिकल सार्टिफिकेट पर होगी, तो मैं समझती हूं कि बिना नया विधेयक लाये ही ऐसे नौकर जो सम्पन्न घरों में काम कर रहे हैं उनको राहत मिल जायेगी।

SHRI AHMAD SAID KHAN (Uttar Pradesh): Mr. Chairman, while I appreciate the spirit that has prompted the mover of this Bill to bring this measure before this House, I feel there are some practical difficulties in implementing the various sections embodied in this measure. First of all, the question to be considered is for whose benefit we are trying to pass this legislation. Is it for the benefit of the employer or is it for the benefit of the employee? If we read clauses 6 to 8 of this Bill, we will find that with all the registrations, thumb impressions, specimen signatures and then investigation at the home of the employee and so on, the employee will feel that instead of getting employment, he has become perhaps a "history sheeter", for he will be absolutely in the hands of the police. And the policeman if he is not favourably inclined, can make any remark which will make the person unemployed. I feel, Sir, that this measure will not be in the interest of the employee at all.

[Shri Ahmed Said Khan.]

Coming next to the employer, what do we find? There are middle-class people with Rs. 300 or Rs. 400 monthly income and it will be very difficult for such a person to employ a domestic servant with all these conditions. Moreover, the conditions of a factory worker and those of a domestic employee are not exactly the same. A factory worker has to work for eight hours or seven hours continually, while the domestic worker or employee does not work continually. Also, the nature of the work and the conditions under which he works are quite diff rent. A domestic servant lives in the same house and under the same conditions as his own employer, while the factory worker is working under very difficult conditions, sometimes in the factory. Therefore, the conditions are not identical and they cannot be treated in the same manner. Just look at the condition of the housewife with an income of Rs. 300 or Rs. 400 a month. She goes out for shopping and she wants the servant to look after the children or she cooks and wants the servant to go out for shopping. If you are going to put all these conditions on the house wife belonging to a middle class, it will be very difficult for her to run the household and the result would be further unemployment among the domestic servants. People will not employ them. Moreover, Sir, I feel that this will tremendously increase the amount of work that the police will have to do. The police will have to verify the antecedents of every employee to find out whether he belongs to a criminal family or not. This will mean a lot of work to the already over-worked police which is mainly intended for looking into more heinous crimes. Now, Government will have to raise their number if this Bill is to become the law of the land.

12 NOON.

Therefore, Sir, I am of opinion that this measure should not be made into law.

श्री ओंकार नाथ (दिल्ली): सभापति महोदय, मैं इस विधेयक को एक दूसरी दृष्टि से भी देखता हूं । जहां इस विधेयक को पेश करने में मूवर का ध्येय यह है कि घरेलू नौकरों की दशा में कुछ उन्नति हो वहां मैं उसके साथ साथ यह भी समझता हूं कि इससे नौकर रखने वालों की भी उन्नति और भलाई होगी । आज हमारे समाज में जो नौकर रखने वाले हैं उनकी दशा ऐसी हो गई और उनकी आदतें ऐसी रईसी की बन गई हैं कि वे एक गिलास पानी के लिये भी नौकरों के मोहताज रहते हैं । वे कपड़ा धोने का काम, बर्तन मांजने का काम और हर काम को नौकरों से करवाते हैं । मैं समझता हूं कि आने वाले समाजवादी समाज में यह चीज रहने वाली नहीं है । हमें तो अपने जीवन का आदर्श गांधी जी के आदर्श से लेना है । आपको मालूम है कि उनके आश्रम में हर एक को अपना सारा काम खुद करना होता था, शौचालय वगैरह भी खुद साफ करना पड़ता था । बड़े से बड़े रईस भी वहां आ कर जब रहते थे तो खुद अपना बर्तन मांजते थे, वे अपने कपड़े भी अपने हाथ से धोते थे । तो मैं इस विधेयक को इस दृष्टि से देखता हूं कि श्रम के महत्व को, लेबर की डिगनिटी को बढ़ाने का यह एक ज़रिया होगा । हर ऐस आदमी को जिसको कि २४सों घंटे नौकर पर मोहताज रहने की आदत पड़ गई है उसको यह आदत छोड़नी पड़गी । ज्यादातर मुल्कों में इस तरह की चीज नहीं है कि १५०/२०० रु० तनख्वाह पाने पर हा नौकर रख लिया जाता हो जो कि सारा घर का काम करता हो । तो इस विधेयक से दो मकसद पूरे होते हैं, एक तो नौकरों की भलाई और उन्नति होती है और दूसरे जो नौकर रखते हे उनकी भी भलाई होती है ।

यों तो इस विधेयक की धारायें ठीक हैं लकिन इस में इन नौकरों के लिये बहुत सी एमेनटीज़ की बातें और कुछ दूसरी बातें नहीं हैं, फिर भी मैं समझता हूं कि मुल्क के लिये, देश के लिये, और शह ों के लिये, इस तरह के क.नून का जरूरत है । हमने

दुकानों में काम करने वालों के लिये एक कानून बना दिया । दुकान के मालिक और कर्मचारियों का रिश्ता कानूनन तय कर दिया। इसी तरह से कारखाने में काम करने वालों के लिये कानून बनाया और उसके लिये यह नियम भी बनाया कि वहां १० साल तक का या १२ साल तक का बच्चा काम नहीं कर सकता है । जब इन सब लोगों के लिये कानून बनाया है तो कोई वजह नहीं मालूम होती है कि इन लाखों आदमियों के लिये कोई कानून क्यों न बनाया जाये । मियां बीबी का रिश्ता होने के लिये कानून है, हर चीज़ में कानून का दखल है लेकिन घरेलू नौकरों को इम्प्लाय करने वालों के रिश्ते के बारे में कानून नहीं है । इन से रात १२-१२ और १-१ बजे तक जगा कर काम ले सकते हैं, सिनेमा से आ कर कह सकते हैं कि चाय पीयेंगे और उन से बनवा सकते हैं । १० साल के और उस से भी छोटे छोटे बच्चे नौकर काम करते हैं । तो उनको दशा बहुत खराब है । इस में कोई शक नहीं है कि बाज रईसों के यहां इनकी दशा बहुत अच्छी है लेकिन आम तौर से घरेलू नौकरों की दशा अच्छी नहीं है ।

तो, जैसा कि मैंने अर्ज किया कि इस कानून के बन जाने से इन नौकरों की हालत तो सुधरेगी ही लेकिन साथ ही साथ जो नौकर रखने वाले हैं उनको भी यह लाभ होगा कि उन्हें खुद काम करने की आदत हो जायेगी और मैं तो समझता हूं कि इस कानून से उनका ज्यादा सुधार हो जायेगा, वे लोग समाजवादी समाज के मुताबिक ढल जायेंगे और अपना काम जब खुद करने लगेंगे तो उन्हें काम की कद्र मालूम होगी और यह मालूम होगा कि बर्तन कैसे मंजते हैं, कपड़े कैसे धुलते हैं । मुझे तो नौकर रखने वालों की दृष्टि से यह कानून ज्यादा अच्छा मालूम होता है क्योंकि इससे उनकी जिन्दगी अच्छी और काम की हो जायेगी और अभी जो उनमें अहदीपना है वह नहीं रहेगा । तो इस दृष्टि से मैं इस विधेयक का बहुत स्वागत करता हूं । इससे डिगनिटी आफ लेबर बढ़ेगी । हां, इस बिल में अगर थोड़े से सुधार कर दिये जायें तो अच्छा है ।

इसमें एक जगह यह भी दिया है कि अगर कोई नौकर रखेगा तो वह पुलिस को इसकी रिपोर्ट देगा और उसकी इंक्वायरी हो जायेगी । आप अखबार में अक्सर पढ़ते हैं कि दिल्ली में इनकी वजह से चोरियां हो जाती हैं तो अगर इस तरह से नौकरों का बैकग्राउंड मालूम हो जायगा तो यह चीज नहीं होगी । इसके अलावा इस बिल में यह भी दिया है कि १८ साल से कम के नौकरों को ३० रु० महीना और १८ साल से ऊपर के नौकरों को ४० रु० महीना मिलेगा । लेकिन इसके साथ साथ मैं समझता हूं कि यह भी ज़रूरी है कि इनके लिये कोई न कोई कम से कम उम्र ज़रूर लगनी चाहिये कि इससे कम उम्र के नौकर नहीं रखना चाहिये । बहुत छोटे छोटे लड़के नौकर रख लिये जाते हैं और इस तरह उनकी जिन्दगी खराब हो जाती है और उनकी तालीम का कोई इन्तजाम नहीं होता है ।

दूसरी चीज़ यह है कि इस बिल में एमेनिटीज़ देने के बारे में कुछ नहीं है । तनख्वाह की बात इसमें दी गई है लेकिन खाना, कपड़ा, रहने के लिये जगह और दूसरी चीज़ों के बारे में इसमें कोई इन्तजाम नहीं है, तो इन सब बातों के लिये भी कोई न कोई प्राविजन इसमें होना चाहिये ।

तीसरी चीज़ यह है कि इसमें एक जगह पार्ट टाइम नौकरों के बारे में दिया है कि जो लोग बर्तन मांजने और मुख्तलिफ काम करने के लिये सिर्फ थोड़ी देर के लिये आयें उनके ऊपर यह कानून एप्लाई नहीं करेगा और दूसरी जगह यह दिया हुआ है कि जो पार्ट टाइम नौकर हैं उनको भी इसमें शामिल किया जाय, तो यह एक कांट्रेडिक्शन है । इसको देखना चाहिये । मेरा यह भी कहना

[श्री ओंकार नाथ]

कि पार्ट टाइम सर्वेंट्स को छोड़ कर जो होल-टाइम सर्वेंट्स हैं उनकी बीमारी के समय इलाज की जिम्मेदारी मालिक पर होनी चाहिये और इसके अलावा उनकी पढ़ाई का और उनके रहने के लिये सब इन्तजाम होना चाहिये । इसमें किसी तरह की ऐमिनिटीज़ की बात नहीं कही गई है, सिर्फ ३० या ४० रु० तनख्वाह देने से ही उनकी गुजर नहीं हो सकती है ।

श्री अवधेश्वर प्रसाद सिंह (बिहार) : तनख्वाह के अलावा और क्या देना चाहिये ?

श्री ओंकार नाथ : चौथी बात यह है कि फरीदुल हक साहब ने बताया था कि इसमें जो १० घंटा काम के लिये रखा गया है वह ज्यादा है । मेरा यह कहना है कि कारखाने के मजदूरों के लिये जो ८ घंटा रखा गया है उसमें वे लगातार काम करते हैं, चाहे वे स्पिनिंग में हों या चाहे वीविंग विभाग में हों, वे लगातार काम करते हैं लेकिन घरेलू नौकरों का यह है कि ये २ घंटे काम भी कर लेते हैं और फिर २ घंटे इनको आराम भी मिल जाता है । तो होना यह चाहिये कि इसी १० घंटे में से २ घंटे के लिये इनको खाने की छुट्टी दे दें और यह कर दें कि ऐट ए टाइम ६ घंटे से ज्यादा काम न लें । अगर काम के घंटे बहुत ज्यादा कम कर देंगे तो फिर आम तौर से लोग पार्ट टाइम नौकर ही रखना चाहेंगे और उसका नतीजा यह होगा कि इनको काम नहीं रहेगा . . .

डा० श्रीमती सीता परमानन्द : चाइल्ड लेबर के बारे में इसमें कोई तजवीज़ नहीं है ?

श्री ओंकार नाथ : वही तो मैंने कहा कि बड़ों को ही नौकर रखना चाहिये और होल-टाइम नौकरों पर यह कानून ऐप्लाई करना चाहिये और होल-टाइम नौकरों को तनख्वाह के अलावा और फैसिलिटीज़ भी देना चाहिये और इलाज वगैरह की जिम्मेदारी मालिक पर होनी चाहिये । इसके अलावा यह भी कहना है कि अगर नौकर पुराना हो गया है, यानी वह १५/२० साल से नौकरी करता रहा है, बूढ़ा होकर छोड़ता है, तो उसको प्राविडेंट फंड की शक्ल में, ग्रेचुएटी की शक्ल में, या किसी भी शक्ल में, कुछ न कुछ मिलना चाहिये । इसके अलावा उनके लिये छुट्टी वगैरह का भी इन्तजाम होना चाहिये ।

तो मेरा कहना है कि राजभोज जी को इस बिल को थोडा इम्प्रूव करना चाहिये लेकिन चूंकि इसके पीछे जो उद्देश्य है वह अत्यन्त अहम और उपयोगी है, इसलिये मैं इस की ताईद करता हूं । मैं समझता हूं कि इससे नौकरों की हालत और मालिकों की आदत दोनों में सुधार हो जायेगा । मेरा यह भी कहना है कि सोशल रिफार्म और सोशल वर्क के साथ साथ सोशल कानून भी होना चाहिये, जब दोनों काम साथ साथ चलेंगे तभी काम बन सकता है ।

मैं समझता हूं कि अब वह समय आ गया है जब कि हमें घरेलू नौकरों को प्रोटैक्शन देने के लिए कोई न कोई प्रबन्ध करना चाहिए, जिस तरह से कि हमने देश के और कर्मचारियों को प्रोटैक्शन देने के लिए प्रबन्ध किया है, जिससे कि उनकी हालत सुधरे और जो नौकर रखने वाले हैं उनकी आदत भी सुधरे और वे सिर्फ नौकरों पर ही निर्भर न रहें । इस दृष्टि से मैं इस बिल का स्वागत करता हूं । धन्यवाद ।

श्रीमती कृष्णा कुमारी (मध्य प्रदेश) : सभापति महोदय, आज हमारे सदन में यह बात चल रही है कि घरेलू नौकरों के लिए कानून बनाना चाहिए । मैंने इस बारे में बहुत कुछ सुना, उसको समझा और उस पर विचार किया लेकिन मेरी समझ में यह नहीं आता है कि जब हम लोगों के दिल और दिमाग में परिवर्तन नहीं हुआ है तो फिर इस बारे में कोई भी कानून बना

देने से कैसे काम चलेगा । जो घरेलू नौकर हैं वे तो कहीं कहीं इतने मिलजुल जाते हैं कि वे परिवार के एक सदस्य की तरह हो जाते हैं, वे परिवार के एक अंग माने जाते हैं और वे उसी ढंग से रहते हैं । यहां नौकरों के और मालिकों के खाने में, पीने में कोई भी अन्तर नहीं रहता है । जहां तक यह सवाल है जो कानून का रूप है उससे मुझे प्रत्यक्ष दीख रहा है कि बेकारी बहुत ज्यादा बढ़ जायेगी क्योंकि हमारा भारतवर्ष यूं ही बहुत गरीब देश है । इसमें चंद लोग ऐसे धनी, पंजी और रुपये वाले हैं जो कि नौकर रख सकते हैं, नहीं तो आम तौर से हर एक स्त्री अपने घर का कामकाज कर लेती हैं । यह देश एक कृषि प्रधान देश है । यहां पर बहुत ज्यादा कृषक लोग रहते हैं जो अपने हाथ से हरेक काम करते रहते हैं । उन्हें नौकर रखने के लिए रुपया कहां से मिले । आज कोई भी कानून बनाने से पहले हमें यह देखना है कि हमारे सरकारी कर्मचारी जो कि अस्सी रुपया पाते हैं उन्हें खाने पहिनने के अलावा कितना पैसा बच रहता है । जो हमारे अध्यापक लोग डेढ़ सौ रुपया माहवार तनख्वाह पाते हैं, जो कि लड़कों को शिक्षा देते हैं, गुरू माने जाते हैं, उन्हें अपने पारिवारिक खर्च के बाद कुछ पैसा अपने जेब खर्च के लिए भी बच पाता है ? आज जब यह परिस्थिति हमारे भारतवर्ष की है तो हम नौकरों के लिए एक कानून बनायें और उसके आधार पर चलें यह ठीक बात है । आज हम पालियामेंट के मेम्बर बनकर यहां पर बैठे हैं, चार सौ रुपया माहवार हमको मिलता है और ऊपर से जब सेशन चलता है तब २१ रु० रोज का भत्ता मिलता है लेकिन हमें यह नहीं भूल जाना चाहिए कि हम किस प्रदेश से आये हैं, किस परिस्थिति में हम रह आए हैं और किस जगह से निकल कर आए हैं । आज इतने रुपये जब हमको मिलते हैं और कुछ साधन व सुविधाएं हमको मिलती हैं तो हमें पुरानी परिस्थितियों को नहीं भूल जाना चाहिए इसलिए मैं यह कहती हूं कि कोई कानून बनाने के पहले भारतवर्ष की परिस्थिति को और नागरिकों की अवस्था को देखना चाहिए । जो बीच के लोग हैं वे पहले भी पिसे, आज भी पिसे, अब भी पिस रहे हैं । उनके लिए क्या है ? आज हम हरेक वर्ग के उत्थान के लिए चल रहे हैं पर यह नहीं देखते कि हमारे ब्राह्मण वर्ग में कुछ तो पंडिताई करके अपनी गुजर कर रहे हैं, कुछ दर दर भिक्षा मांगने पर भी अपना पेट नहीं भर पा रहे हैं । उनके लिए कौन सा कानून हमारा बन रहा है ? बहुत से क्षत्री ऐसे हैं जिनके लड़कों के बदन पर चीथड़े पड़े हैं, उनको शिक्षा देना चाहते हैं पर दे नहीं पा रहे हैं, उनके पास न पैसा है न वे अपने बालकों की पुस्तकें मंगा सक हैं । मैंने देखा है कि पुस्तकें न मंगा सकने के कारण उनकी पढ़ाई बन्द है । और वे क्या करते हैं कि लड़का इधर उधर कहीं किसी के घर में जाकर काम करने लगता है तो उनकी स्थिति थोड़ी सी सुधर जाती है । तो इस स्थिति को सुधारने में बंधन लगाना मैं उचित नहीं समझती हूं । मैं यह समझती हूं कि घरेलू कर्मचारी कभी १० घंटे काम नहीं करते ।

[THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AKBAR ALI KHAN) in the Chair.]

आप देखिये, सोच विचार कर देखिये कि क्या कोई दस घंटे काम कर सकता है ? दस घंटे लगातार काम कर ही नहीं सकता ।

श्री पां० ना० राजभोज : बहुत काम करते हैं ।

श्रीमती कृष्णा कुमारी : बहुत काम क्या होता है ? दस घंटे बराबर वे नहीं लगे रह सकते—दो घंटे काम किया तो दो घंटे आराम किया । आराम का वक्त भी उनके काम में शुमार हो जाय यह कोई अच्छी बात मेरी समझ में नहीं आती ।

श्री अनोलख चंद (उत्तर प्रदेश) : बिल्कुल गलत बात है ।

श्रीमती कृष्णा कुमारी : यह बिल्कुल गलत चीज है । अभी आप देखिये कि हम लोग चाय वगैरा पी कर चले आए और यहां से खाना खाने के लिए एक बजे तक जायेंगे । इस बीच नौकर क्या करेगा ? चहलकदमी करेगा, घूमना फिरना करेगा । ऐसा ही और घरों में भी होता है, घरों में सीमित काम होता है । हां, एक चीज मानने के लिये मैं तैयार हूं कि हम लोग जैसे भारतीय हैं वैसे ही रहन सहन भी भारतीय है । खाना पीना भी हमारा भारतीय है । अंग्रेजों की तरह बिल्कुल सीमित समय पर हम नहीं चल सकते । अगर सीमित समय पर चलेंगे तो हमारे सिनेमा हाउसेज नहीं चलेंगे क्योंकि तब वे देखने कैसे जायेंगे ? उन्हें तो यह डर लगा रहेगा कि अगर हम सिनेमा देखने जाते हैं तो हमें खाना नहीं मिलेगा । जिनकी बीवी है वे तो खाना पा जायेंगे—मियां बीवी गये और फिर खा कर मस्त रहेंगे । इसलिए उधर भी हमारी आय कम होती है । हमें तो कोई कानून हरेक परिस्थिति को देखकर, ध्यानपूर्वक समझकर बनाना चाहिये और वह कानून बनाया जाय जो स्तैमाल हो, जो आम पब्लिक के साथ आए और चलें । तभी वह ज्यादा उपयोगी सिद्ध हो सकता है । लेकिन हरेक काम में अडंगा लगायें, हम स्त्री हों या पुरुष हों, कि यह कानून जरूर बनना चाहिये और जरूर होना चाहिये तो भाई, सबसे पहले हम लोगों को चाहिये कि अपने दिल व दिमाग को साफ करें और नौकरों के दिल व दिमाग को साफ करें । लक्षमण जी स्वीकार कर चुके हैं कि सेवाभाव सबसे कठिन है । ऐसा कौनसा नौकर है जो सेवाभाव करके तुम्हारा गुजारा करेगा । आज उतनी ईमानदारी नहीं है, आज उतना सेवा भाव नहीं है और आज पुरानी परिस्थितियां हमारे पास नहीं हैं । आज मैं पन्द्रह रु० माहवार किसी को देती हूं तो मुझे साठ रु० माहवार पड़ते हैं क्योंकि पांच रु० माहवार मुझे नौकर के कपड़े के लिये चाहिये, एक रु० रोज के हिसाब से ३० रु० माहवार का खाना बैठ जाता है। आप सोचिये किस आदमी की इतनी आय है । कौन कृषक आज ऐसा है जो अपने यहां इतनी उत्पत्ति कर रहा है कि अपने बाल-बच्चों का पालन पोषण कर ले, सरकारी लगान भी दे, कपड़े लत्ते जुटा ले और ऊपर से नौकर भी रख ले। किसी की आय है इतनी ? भाई, हम लोग दिल्ली में आते हैं तो बड़ी बड़ी बिल्डिगें देखने को मिलती हैं, बड़े बड़े पूंजीपति दिखायी देते हैं, बहुत से नौकर भी इधर उधर घूमते रहते हैं । तनिक गांवों में जाइये और देखिये वहां कैसी हालत है, चलिये हमारे गांव में । आज भी मैं दावे के साथ कहती हूं, मैं पालिया-मेंट की मेम्बर हूं, पर अपने घर में एक किसान हूं । आप चलिये, मेरे घर के लड़के दौड़ दौड़ कर आपको खाना देंगे, पानी देंगे, थाली ले आयेंगे । हम जात-पांत का विचार नहीं करते, हम आपकी थालियां धोवेंगे । लेकिन यहां मैं पालिया-मेंट की मेम्बर बन कर बैठी हूं । तो घर और गांव में तो वहां की परिस्थिति देखकर, अपनी जनता को साथ लेकर भाई साहब, हम लोगों को चलना है और जब तक हम उन्हें साथ लेकर नहीं चलते तब तक मैं कैसे विश्वास कर सकती हूं कि कोई भी कदम हमारा ठोस है और उचित है । इसलिये मैं कहती हूं कि कुछ भी करने से पहले, कोई भी कदम उठाने से पहले हमें सबसे पहले सोच लेना चाहिये कि जब हम कांग्रेस के कार्य में थे और . . .

श्री पां० ना० राजभोज : आपको सर्वेन्ट नहीं मिलेगा ऐसी बातों से ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AKBAR ALI KHAN): Please do not disturb. You will have your say. Let her go on.

श्री पां० ना० राजभोज : गलत बात है, इसलिये मैं कह रहा हूं ।

श्री अनोलख चन्द : सही बातें हैं, गलत कैसे हैं ?

पुनर्वास तथा अल्पसंख्यककार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : नेता बन गये और क्या चाहते हैं ।

श्रीमती कृष्णा कुमारी : जिस समय हम लोगों ने यह दीक्षा ली थी, महात्मा जी के कार्य में हाथ डाला था उस समय हम लोग जेलखाने में यह सोच कर नहीं गये थे कि हमें कल इसके परिणामस्वरूप पार्लियामेन्ट की मेम्बरी मिलेगी । बिल्कुल नहीं । जहां हममें त्याग करने के लिये भावना है वहां हम सदा अपने भाइयों की सद्भावना का ख्याल करेंगे । मैं कहती हूं कि कई बार मैंने ही अपने घर को बेचा है । जितने जुर्माने हुए हैं मुझे इसी तरह देने पड़े हैं और लड़कों की पढ़ाई दो दो साल, तीन तीन साल तक रुक गई है । उस समय यह ख्याल थोड़े ही था कि ये पढ़ लेंगे तो खूब रुपया कमायेंगे । अगर यही चीज होती तो हजारों की मालकिन हो सकती थी ।

श्री अनोलख चन्द : सही बात है, राजभोज यही चाहते हैं ।

श्रीमती कृष्णा कुमारी : तो जो त्यागमय भावना है, दूसरों की सेवा करने की लगन वाली भावना है, कौन बद-दिमाग ऐसा होगा कि जिसका नौकर सच्चे दिल से और मुस्तैदी के साथ सेवा करता हो वह अपने बच्चे से ज्यादा उस नौकर को न चाहता हो । ऐसा आदमी हमारे भारतवर्ष में नहीं है जो अपने सेवकों को दुर्भावना की दृष्टि से देखता हो ।

श्री पां० ना० राजभोज : बहुत से लोग देखते हैं ।

श्रीमती कृष्णा कुमारी : जो देखते हैं उनको आपका यह कानून भी पाबन्द नहीं कर सकता । भाई साहब, मैं यह कहती हूं कि कानून के ज़रिये कोई भी पाबंदियां नहीं आ सकतीं । आज भी मैं दावे के साथ कहती हूं कि तीन तीन साल, छः छः साल के लड़कों की, सात सात साल के लड़कों की शादी हो रही है । क्या काननून हो रहा है ? क्योंकि हम लोगों के दिल व दिमाग नहीं बदल रहे हैं । आप कहते हैं कि हरिजनों में काम करते हैं । मैं कहती हूं कि उन्हीं की ऐसी परिस्थिति है कि वे कहते हैं साल भर भी ज्यादा हो जायगा तो शादियां ही नहीं होंगी—कुछ थोड़े बुजुर्ग भी ऐसा कहते हैं । हर एक गांव में हर एक जाति में यह बात देखने में आती है । इसलिए मैं कहती हूं कि कानून ही बन जाने से कोई बात नहीं होती । हमें सिखाना होगा, हमें अपने नौकरों को समझाना होगा । नौकरों को एक ऐसी तालीम देनी होगी कि इस ढंग से काम करना चाहिये, इस ढंग से रहना होगा, इस ढंग से तुम आगे बढ़ सकते हो । जो सुनने में आता है चालीस रुपये नौकरों की तन्ख्वाह है, बाबा तीस तो वह खा ही लेगा ।

श्री पां० ना० राजभोज : कौन देता है ?

श्रीमती कृष्णा कुमारी : अब भाई साहब खुद ही सोचिये कि वह चालीस रुपये में किस तरह से अपनी गुजर बसर कर सकता है । जब आजकल नौकर किसी घर में रहता है तो वह खाना भी खाता है, चाय भी पीता है, नाश्ता भी करता है, अगर हम उसे पूरा न भी दें तब भी उसे आधा नाश्ता देना ही

[श्रीमती कृष्णा कुमारी]

पड़ता है । इस तरह से नौकर को इस समय पैसे के साथ साथ खाना भी देना पड़ता है जिससे वह थोड़ा बहुत रुपया बचा लेता है । जब आप नौकर की तन्ख्वाह ४० ० रख देंगे तो किस तरह से कोई अपने यहां नौकर रख सकेगा जब कि उसकी इतनी आय नहीं होगी। इसलिए मैं कहती हूं कि जो कानून की बात है उस पर सरकार को बहुत अच्छी तरह से विचार करना चाहिये । पहले हमें अपने शिक्षकों को, जो हमा े गुरु हैं, उनकी हालत को सुधारना चाहिये । आज हम देखते हैं कि उनको १५० पया मासिक तन्ख्वाह मिलती है । इतनी थोड़ी तन्ख्वाह में एक शिक्षक जिसके वहां एक लड़का, एक स्‍ री ौर दो बच्चे हैं, कपड़ा, खाना और दूस ी चीजों का कैसे प्रबन्ध कर सकता है । जो शिक्षक हमा े बच्चों को एक अच्छा नागरिक बनाने वाला है जब हम उसको पेट भर खाने के लिए नहीं देंगे ो वह किस तरह से हमा े बच्चों को अच्छी शिक्षा े सकेगा ? आज हमारे शिक्षकों की दशा बहुत ही शोचनीय और दय ीय है । हम कानून द्वारा ऐसी व्यवस्था करें जिस से उनकी दशा सुधर जाय और वे हमारे बच्चों को समुचित शिक्षा देकर एक योग्य नागरिक बना सके ।

हमें इन्हीं बातों के ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिये और जो हमारे भाई पीछे पड़े हैं, तबाह हैं, जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते हैं, उनके लिये इस तरह का कानून बनाना चाहिये जिससे उनके बच्चों को समुचित शिक्षा मिल सके और उनका परिवार उन्नतिशील हो । आज इस तरह की चीजों को समझने का समय है, इस तरह की चीजों को करने का समय है, जिससे हमारी स्वतंत्रता, हमारी योजनाएं सफलतापूर्वक पूरी हो सकें । आज क्या बात है कि लोगों के दिल व दिमाग में इस तरह की बातें आ रही हैं? आज क्यों लोगों के हृदयों में तरह तरह की प्रतिकूल बातें और इस तरह के भाव उ रहे हैं ? हमें इन बातों की तरफ सोचना चाहिये कि लोगों में इस तरह के भाव क्यों उठ रहे हैं । उसका कारण, यह है कि जो लोग भूखे हैं वे सम्पन्न लोगों को जिन लोगों का पेट भरा है उनकी ओर जलन की दृष्टि से देखते हैं । उन्हें इस बात का दुःख होता है कि वे भी उनके साथ साथ क ों नहीं चलते हैं । जब वे लोग यह बात सोचते हैं कि हमने हिन्दुस्तान की आजादी के लिए साथ साथ काम किया है और जब हमारा देश आजाद हो गया है तो वे क्यों नहीं उनकी तरह से जो लोग सम्पन्न है, सुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उसी तरह का जीवन व्यतीत करें । इसलिए हमें यह बात सोचनी चाहिये कि जो लोग गरीब हैं, चाहे वे किसी भी जाति के हों, ब्राह्मण हों, क्षत्रीय हों, उन्हें भी उन्नति करने का समान अधिकार है। मैं देखती हूं कि इस तरह की कोई भी बात यहां पर नहीं उ ती । अगर कोई बात उठती है तो वह किसी जाति विशेष के लिए ही उठाई जाती है, उन्हीं के लड़के को पढ़ाने के लिए उठाई जाती है । आज हम देखते हैं कि हमारे जो हरिजन ाई हैं वे कुछ न कुछ काम तो कर लेते है। अगर एक जूता भी बना लिया तो वे दस रुपया पा जाते हैं। इस तरह से वे लोग कम से कम कुछ काम तो कर ही लेते हैं और सरकार की ओर से भी उन्हें हर तरह की सहायता दी जाती है। मैं सहायता दिये जाने का विरोध नहीं करती हूं । मैं आपसे यह कहना चाहती हूं कि अपने यहां जो सवर्ण लोग हैं, उनके लिये भी आप कुछ काम दें । इस समय उनके लिए न कोई काम है और न कोई उद्योग धन्धा ही है। वे लोग बहुत पीछे पड़ते चले आ रहे हैं । उनके लिए भी इस हाउस में कोई आवाज उठनी चाहिये, कोई कानून बनाना चाहिये जिस से उनके बच्चों और उनकी भी उन्नति हो सके । आज मैं देखती हूं कि अलग अलग जाति के लोग अपनी जाति की भलाई के लिए कानून बनाना और उनको सहूलियत देने की बात करते हैं। लेकिन कोई भी आदमी यह नहीं सोचता है कि इन लोगों के बच्चें भी एक दिन इस देश के नागरिक बनने वाले हैं तो क्यों नहीं उन्हें

सहूलियत दी जाय। बच्चे तो सब के बराबर हैं, चाहे वे आपके हों या दूसरों के। यह सब बच्चे देश के भविष्य में नागरिक बनने वाले हैं। हमें इस तरह की बात नहीं सोचनी चाहिए कि यह बच्चा सवर्ण का है और यह दूसरी जाति का है। बच्चा तो आखिर बच्चा ही है, उनका जीवन हमें सुधारना है ताकि वे इस देश के एक अच्छे नागरिक बन सकें।

इतना सुनने के बाद यह भी सुनने में आता है कि कुछ जाति के लोगों के लिए रिजर्वेशन आफ सीट्स की व्यवस्था की जा रही है। इस तरह की बात कब तक चलेगी? जहां दूसरों को बढ़ाने का सवाल उठता है, वहां पर सवर्ण के लिए भी कुछ उठाना चाहिये क्योंकि उनके बच्चे आज नष्ट हो रहे हैं। अगर सरकार की ओर से उन्हें प्रोत्साहन नहीं दिया जायगा तो वे इस देश के एक अच्छे नागरिक नहीं बन सकेंगे। इसलिए मेरी सरकार से प्रार्थना है कि वह इस तरह के लोगों की ओर भी ध्यान दे।

[MR. DEPUTY CHAIRMAN in the Chair.]

आज आप जिनको नौकर कह रहे हैं, आज जिन्हें आप घरेलू नौकरों का नाम दे रहे हैं मुझे दुःख होता है, वे ब्राह्मण और क्षत्रीय लोगों के ही लड़के हैं। तो मैं यह कहती हूं कि वे लड़के जो आठवीं कक्षा तक शिक्षा पाये हैं, दर दर घूम रहे हैं फिर भी उन्हें कहीं घरेलू नौकरी नहीं मिल रही है। आप जिस तरह से यह कानून बना रहे हैं उससे घरेलू कर्मचारियों को किसी तरह की सहायता नहीं मिलेगी। श्री राजभोज ने बिल में यह व्यवस्था की है कि उन्हें इतना रुपया मिलना चाहिये और इतना घंटा काम करना चाहिये। इस तरह की बात तो अच्छी है मगर इससे उन लोगों को फायदा पहुंचने के बजाय नुकसान अधिक होगा। इस समय घरेलू कर्मचारियों की जो हालत है उससे भी ज्यादा हालत खराब हो जायगी। आप इस बिल द्वारा घरेलू नौकरों के पांव में एक तरह से बेड़ी लगा दे रहे हैं। इसलिये मैं इस बिल को सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं हूं।

SHRI HARIHAR PATEL (Orissa): Mr. Deputy Chairman, the Bill under consideration is a piece of legislation purporting to secure better conditions of employment for domestic workers. I think it is the first of its kind and prior to this there has never been any piece of legislation regarding domestic workers. This Bill has been most possibly prompted by the demonstration of domestic workers that took place in Delhi some time back. Also, some leader of the domestic workers undertook a hunger strike and at that time some Members of Parliament promised them that they would bring in some legislative measure in Parliament. I think Mr. Rajabhoj might have been one of them. That is why this Bill. There can be no denying the fact that the grievances of domestic workers need to be considered sympathetically. It is true that the domestic workers are sometimes harassed by the employers, and to save them and to protect them from such miserable conditions is a humanitarian task, most needed also. But I do not understand how this piece of legislation can save them from those conditions.

The question of the service conditions of the domestic workers was also in the Agenda before the Indian Labour Conference held at Madras some time back, and that Conference considered it unfeasible to adopt any legislative measures for the regulation of the service conditions of domestic workers. The report of the Conference, of course, does not contain any reason as to why it was considered not feasible. However, it arrived at an alternative scheme regarding the matter, and it has been decided to make an experiment of the scheme at Delhi first, and it is recorded that the experience gained from the working of that scheme in Delhi might provide the basis for further action in the matter.

[Shri Harihar Patel.]

The scheme which has been termed Pilot Scheme advises the setting up of a Special Employment Office for domestic servants, and it was approved unanimously. The scheme in brief is as follows:

"The Special Employment Office will serve the employers and domestic servants in Delhi and New Delhi areas. It will be located in a centrally situated area in New Delhi well-served by public transport.

The Special Employment Office will work on the same lines as any other Employment Exchange. At the time of registration, domestic servants may be asked to give the names of two responsible persons who are residents of Delhi. The names of the referees should be recorded and may be supplied to the employer at his request when the applicant is submitted against a vacancy.

The Office will in addition maintain in a specially designed form a register of employers, who need domestic workers.

As the scheme is to function on a pilot basis, it may be centrally administered by D.G.R. & E. through the Director of Employment and Training, Delhi.

It is considered that a separate Advisory Committee composed of the representatives of the parties as given below may be set up to advise the authorities concerned on the working of this Employment Office:—

(i) Director of Employment and Training, Delhi—Chairman.

(ii) One Representative of the Organization of the Domestic Servants of Delhi.

(iii) One Representative of employers, preferably a housewife.

(iv) A social worker, preferably a lady interested in the welfare of domestic servants; and

(v) A Member of Parliament.

The Employment Officer in charge of the Special Employment Office will be the Secretary of the Advisory Committee.

The Special Employment Office will handle only placement of domestic workers. The Welfare of Domestic Workers will be looked after to the extent possible by a Labour Welfare Officer appointed for this purpose under the Director of Industries and Labour, Delhi Administration. The Employment Officer in charge of the Special Employment Office will, when required, render assistance to the Labour Officer in this respect by supplying information regarding the terms and conditions notified by the employer at the time of placing the demand for domestic workers."

It has been explained that the domestic workers constitute a special category of employment-seekers, and that a special office to handle them is likely to prove advantageous to them as also to employers who require such workers. It has also been said that such special offices have been set up in the past to cater to the needs of important occupational categories.

The Conference also decided that the Labour Welfare Officer and others connected with the administration of the scheme should collect, as far as possible, all the available data on the prevailing practice in respect of working hours, holiday facilities, rates of remuneration, dates on which salary was normally paid, period of employment, and other privileges available, so that further action might be planned on the basis of well-ascertained facts.

The scheme goes one step ahead inasmuch as it suggests the establishment of a Special Employment Office, to function like the Employment Exchange, for the domestic workers.

The scheme, however, is one step behind inasmuch as it suggests that some sort of enquiries and collection of data, facts and figures, etc., should be made before planning any action regarding wages, holidays, annual leave, casual leave, payment of wages, etc., to the domestic workers.

Thus it is evident that the scheme certainly involves a certain amount of delay, but all the same it seems to be a scientific and more reasonable approach to the problem. The problems sought to be dealt with by the Bill may be said to be grave but not imminent, and at the same time those are undoubtedly complex, most complex like our social structure. In the circumstances I cannot understand how some amount of study of the problems and serious thinking regarding measures of solution can be dispensed w th before making an enactment. I say all the more so because the Bill appears to me to be defective and injurious to the interests of the same persons whom it seeks to protect. For example, the Bill seeks to extend over the whole of our country, and yet it does not consider the varying standards of living and the different average incomes of the people in the different parts of our country, and lays down one rate of wages for all of them. The consequence of this will be that in many regions the extent of employment will be adversely affected. Big as our unemployment problem is, I think that nothing should be done which will result in more unemployment.

Also, the domestic servants are sometimes bound to be paid in various ways. Reducing it to the manner of cash payment only will complicate matters.

It will be seen in the Bill that clauses 5 to 8 declare the role or the part to be played by the police in the matter. I do not understand why the mover of the Bill places so much reliance and faith on the police. My apprehension is that they will deal with domestic workers as if they are just criminals.

Then, Sir, let us think about the weekly holidays. It is la'd down in the Bill that one day in a week should be allowed as holiday to the domestic servants. Suppose somebody is living with a servant in Delhi. Will he allow a holiday to the servant, and on that day will he cook his own food himself and for his servant? Or, will both of them cook separately, or will both of them observe a fast? Instead of a weekly holiday it becomes a weekly fasting day. It is not possible to lay down any such rigid conditions with regard to domestic servants.

In my opinion, a Bill imposing a code of conduct consisting both of prescriptive and restrictive terms and conditions would have been more useful for the purpose. I think it will be more desirable to wait for some time and see the working of the proposed Pilot Scheme, and in the light of the experience gained in the working of that scheme we should in future sponsor some sort of Bill wh ch will be really useful for the purpose.

Thank, you, Sir.

DIWAN CHAMAN LALL (Punjab): Sir, I have listened with a great deal of interest to the several speeches that have been made on the subject. I must begin by congratulating my friend, Mr. Rajabhoj. Although his Bill is hardly food for the Gods—which I presume is the exact translation of his own name—yet, I would certainly congratulate him for having taken this pioneer step in bringing to the notice of this House the necessity for a legislation of this nature. But some of the speeches that have been made, Mr. Deputy Chairman, have reminded me of the years past, of the time, for instance, when I moved a Bill for the weekly payment of wages in the other House many many years ago. I hear echoes of those speeches made on that occasion in this House after the lapse of many years. But people seem to forget that an ameliorative legislation of this nature is the *sine qua non* of a welfare society. No doubt there are difficulties, very serious difficulties that will face us when we pass a legislation of this kind, but

[Diwan Chaman Lall.]

some legislation of this kind has to be undertaken in the interests of the working classes of this country.

I would ask my friend, Mr. Rajabhoj, what he thought was the approximate extent or the number of people employed as domestic servants in India. The figure would run into a few millions. Obviously we cannot touch on a matter like this with levity or without due caution, and there I agree with all the speakers who warned us, cautioned us about the necessity of taking full counsel with the experts in order that any legislation of this nature may be not only ameliorative but in the interests of the domestic servants for whom we have brought forward this legislation. Now, Sir, I would advise my hon. friend, Mr. Rajabhoj, first of all, to withdraw this particular measure. I say this advisedly because the measure is not only inadequate, but also it is likely to produce more evils than good that he is contemplating should be done to the domestic servants. There are two aspects of this measure which are rather extraordinary. One of them relates to certain correspondence to be carried on by the police with regard to the original residence of the people who are engaged. I believe that there are roughly 80 million families in India. I dare say that a good proportion of those families—let us put it down at half, 40 millions of them—employ some sort of domestic assistants. The result would be that in the initial stage, the police would have to write and receive something like a hundred million letters. It is an extraordinary proposition that my learned friend has propounded in this measure—a volume of correspondence will be there. When you write one letter, you receive a reply and for 40 million letters written, 40 million letters are got in reply. But there is no permanency of employment nor is it assured under the Act, and every time when a new servant is employed, another letter will be issued and another reply will be received. This is an extraordinary proposition. But there is another aspect of it which is a little more extraordinary. If you look at the clauses of this measure, up to clause 8, you will find that my learned friend, Mr. Rajabhoj, whose intentions are of the highest and whose intentions in regard to this measure I commend to the attention of this House, wants to turn our country into a police State. Then, not only will there be this enormous correspondence and the police will have no other work to do except to sit down and write letters and receive replies, but also the police will have the power to enter any premises where the domestic servant is employed in order to check up and see whether the information given by the employer is correct or not, or whether the provisions of this measure are being properly complied with or not. Now, that might have been possible under a regime like the Nazi regime in Germany or it may be possible under certain other regimes of a totalitarian nature, but not under a democracy. It used to be said that the Englishman's home was his castle, and I hope my learned friend also believes that an Indian home is equally sacred and not open to inspection by the police at any time. A policeman of the grade of inspector might take it into his head to enter a premises in order to find out whether the provisions of this measure are being complied with or not.

These two matters will have a very serious effect, but this is up to this stage; up to clause 8 the defects are there. Then my learned friend goes on from clause 8 onwards to deal with certain ameliorative steps that he wants the Legislature to take in order to improve the lot of the domestic servants. He has listed these matters. One of them is the imposition of minimum wage which, according to him, should be Rs. 30 for a boy who has not attained majority and Rs. 40 for one who has, per month. He does not specify whether that is with food or without food; he does not specify whether that is with uniform or without uniform; he does not specify whether it is with residence or

without residence. He has taken a figure, an *ad hoc* figure, without any consideration as to what the effect of that figure is likely to be. Therefore, it is a matter to be carefully considered. One of my colleagues—the lady who spoke very eloquently about this matter—has drawn attention to the disability which would be incurred by large numbers of domestic servants if an imposition of this nature is made by law. It may conceivably result in a large amount of unemployment. We have no method in our country yet of insuring the unemployed. I hope my friend, Mr. Rajabhoj, will sooner or later bring on the floor of this House a measure which will deal with unemployment insurance for our people in this country. I hope the time will come, but we cannot obviously pass a measure which would result in more unemployment than exists today, or rob the domestic servants of their livelihood when the objective is not to injure them, but to benefit them.

Sir, he has also talked about weekly rest—a day in a week. He has talked about various other provisions like casual leave of twelve days which a man may take—or he may take cash payment in lieu thereof—and fifteen days' leave after a year of service. He has also talked about the prompt payment of any arrears when the employer terminates his services, that is, any arrears due to him should be paid within three days. This is the sum total of the beneficial measures that my learned friend, Mr. Rajabhoj, wants us to pass for the benefit of the domestic servants. But he has forgotten some very important factors concerning the amelioration of domestic servants, which matters have been before an international body for many long years, from the year, I believe, 1930 onwards. My friend, Mr. Abid Ali, is fully aware of the implications of the series of conventions that have been passed and of certain recommendations that have been made by the International Labour Office governing the conduct of legislation in respect of domestic servants. Sir, I believe it was in the year 1927 as far as I can remember, because I remember myself having gone as a delegate to the International Labour Organisation in 1925, but the matters concerning domestic servants did not come up until 1927, although I believe they did come up again when I went as a delegate in 1928. In 1927, we passed a convention which was the 24th Convention regarding sickness insurance applicable also to domestic servants. I want to explain to the House that the International Labour Conference either makes recommendations or passes conventions. The recommendations are to be left to the judgment of the governments concerned, but a government that is a party to the convention or a party to the International Labour Organisation has to bring that convention before the competent legislature, either within a year or within eighteen months at the most, for consideration. And it is for the legislature to decide whether it will accept or it will reject the Convention. If the legislature accepts it, the matter ends there. If it does not accept it, then my learned friend has got to write back to the Secretary-General of the International Labour Organization, report to him that "in these circumstances" the legislature has not accepted this Convention. And the matter rests there and ends there.

Now sickness insurance was one of the first things that was decided. In those days we were not free. The matter came up and the matter was rejected. We were not in a majority in the Lower House at the time. I was a Member of the other House at the time. And time and again, Sir when these Conventions were brought before the House, they were turned down, because the Government of the day did not desire to be a party to legislations of this nature in our country. But things have changed since those days, since sickness insurance for domestic servants was suggested in the 24th Convention or old age insurance—also for domestic servants—in the 35th Convention. The 37th Convention talked about invalidity insurance relating to domestic

[Diwan Chaman Lall.]

servants. The 39th Convention referred to widows and orphans. And finally, the 42nd Recommendation—not a Convention—referred to the setting up of employment exchanges for the purpose of domestic servants and others.

DR. SHRIMATI SEETA PARMANAND. Is India a signatory to the Conventions referred to earlier?

DIWAN CHAMAN LALL: I am sorry that my learned friend is confusing herself by not following what I am saying. I was trying to explain, to her benefit particularly, the difference between a Recommendation and a Convention.

DR. SHRIMATI SEETA PARMANAND: I am not talking of the Recommendation to which you referred last; but to the Conventions I was referring.

DIWAN CHAMAN LALL: I was trying to explain, Sir, for her benefit particularly, what a Convention is. When a Convention is passed by the International Labour Office, then those countries represented there are under an obligation . . .

DR. SHRIMATI SEETA PARMANAND: Not unless they sign it. Let me explain it. With regard to the Convention of equal wages, the United States and the U.K., even today, are not signatories to that.

DIWAN CHAMAN LALL: My learned friend does not understand what the procedure is. I have tried to explain it. Let her have a little patience and she will understand what I am trying to say further. It is not a question of being signatories. In respect of a Convention which is passed by the I.L.O., every country, which is represented at the Conference, is under an obligation to bring that Convention to the notice of the competent legislature of that country. It is for the legislature—not for the Government—to decide whether that Convention shall be accepted or not. Now I hope my learned friend has understood the position. It is not a question of being a signatory; it is a question of being under an obligation, a compulsory obligation to bring it to the notice of the competent legislature.

DR. SHRIMATI SEETA PARMANAND: I beg to differ from my learned friend. I say on reliable information that it has to be signed.

SHRI V. PRASAD RAO (Andhra Pradesh): It is a matter for arbitration, it appears.

DIWAN CHAMAN LALL: Now, Sir, let me take my learned friend to the Conventions and Recommendations of the International Labour Conference, where it is said that, in the case of a Convention, the Convention will be communicated to all members for ratification.

(*Interruption.*)

I do not want my learned friend to shift her ground now. I want her to listen.

Each of the members undertakes that it will, within the period of one year at the most from the closing of the Session of the Conference or, if it is impossible in exceptional circumstances to do so within the period of one year, then at the earliest practicable moment, and in no case later than at the earliest practicable moment, and in no case later than eighteen months from the closing of the Session of the Conference, bring the Convention before the authority or authorities, within whose competence the matter lies, for the enactment of legislation or other action.

Now I hope my learned friend has understood and withdraws the challenge.

DR. SHRIMATI SEETA PARMANAND: Sir, I would not like the hon. Member to cast aspersions in this manner. There is no question of understanding. The question is of ratification and whether India is a party to it.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No speech. Please sit down.

SHRI ABID ALI: I shall explain it.

SHRI AMOLAKH CHAND: Diwan Chaman Lall would be the last person to cast any aspersions on anybody.

DIWAN CHAMAN LALL: Now, Sir, my learned friend must understand the position carefully. The position is exactly as I stated it, when my learned friend interrupted me. I have stated it quite clearly, namely that every member present at the Conference has to bring forward the Convention before the competent legislature, and if the competent legislature passes it, then the member country becomes a party to that. And if the competent legislature refuses to pass it, the matter ends there. I said that and I do not think my learned friend understood me at the time when I was trying to explain this position.

DR. SHRIMATI SEETA PARMANAND: My question is not answered. Has India ratified it, that regarding domestic servants?

DIWAN CHAMAN LALL: Again my learned friend must realise that she must not interrupt in a matter which she does not understand. I said so earlier, and I say again that at that time we had a different Government. That Government brought in this type of Convention before the legislature and it was refused; it was rejected. In some cases they did not follow that particular procedure, but that is a different matter.

Now, Sir, I would like my learned friend, Mr. Rajabhoj, to have brought in matters of this kind, matters relating to unemployment insurance, matters relating to the types of insurance that are envisaged by the Conventions that have been passed by the International Labour Conference, and since his is an inadequate measure, may I make a personal appeal to him to withdraw this measure: May I also appeal to him: let him consider this carefully; let him take counsel in regard to this matter; let him call a conference of those interested in these matters so that . . .

SHRI AKBAR ALI KHAN (Andhra Pradesh): Let him collect proper data.

DIWAN CHAMAN LALL: Let him collect proper data—I quite agree with my learned friend—so that legislation of a proper kind, which should be beneficial and not detrimental to the interests of domestic servants, is brought forward and passed by this House. That is my plea. Of course there is no doubt that at the present moment grave difficulties do arise. I remember, when I was in New York a few years ago, seeing an advertisement for domestic servants on 240 dollars a month and the use of a fur coat during the week-ends. We are not advanced as America is advanced. Obviously therefore our legislative activity in respect of these matters has to be of a type which will be suitable to us and not of a type which will be suitable to Americans, for instance. Hence I suggest that my learned friend may take counsel with the officers of the Government and the Ministers and of those who are interested, and bring forward a measure which would be acceptable to everybody, not injure their interests but benefit the domestic working class.

—

STATEMENT *RE* ALLEGED VIOLATION OF AIR SPACE OVER NEFA

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI V. K. KRISHNA MENON): Mr. Deputy Chairman, Sir, there has been a short notice question in the House in regard to violations of our air space by unidentified planes over the Subansiri Division of NEFA and Kamrup district of Assam. In view of the numerous press reports which have appeared during the last few days regarding this matter and the deep concern which has been expressed in the House over such matters, Government have decided to place before the House a comprehensive statement regarding the whole question.